लोक प्राधिकारी–आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या 4 :

कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मानक/नियम :–

आबकारी विभाग के सर्वोच्च अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष आबकारी आयुक्त हैं। आबकारी आयुक्त की सहायतार्थ मुख्यालय में विभिन्न अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त है तथा शासन की नीतियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय के साथ–साथ फील्ड स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन रहते हुए प्रत्येक जनपद में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। प्रत्येक जनपद में विभागीय प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन हेतु आबकारी निरीक्षक एवं स्टाफ लिपिक, उप आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही व आबकारी सिपाही संख्या जैसा कि आयुक्त आवश्यक समझे उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में निम्न स्थानों पर आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं :–

1. अपराध निरोधक क्षेत्रों में :– प्रत्येक जनपद को उसके आवश्यकतानुसार राजस्व अर्जन, आबकारी अपराध एवं आबकारी दुकानों अनुज्ञापनों को दृष्टिगत् रखते हुए एक या उससे अधिक अपराध निरोधक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसे अपराध निरोधक क्षेत्र के प्रभारी आबकारी निरीक्षक होते हैं और उनकी सहायतार्थ नियत संख्या में हैड कांस्टेबुल, कास्टेबुल उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में ऐसे अपराध निरोधक क्षेत्रों की संख्या 23 है और इसको आबकारी प्रशासन की दृष्टि से पुनर्गठित करते हुए 40 तक बढ़ायी जा रही है।
2. आसवानियों में :– प्रत्येक आसवनी में, आबकारी आयुक्त जितनी संख्या में उपयुक्त समझे, आबकारी निरीक्षकों, लिपिकों एवं आबकारी सिपाहियों को नियुक्त कर सकते हैं।

   वर्तमान में राज्य में 3 आसवानियाँ, मै0 इंडिया ग्लायकाल लि0, काशीपुर, मै0 बाजपुर आसवनी, बाजपुर जनपद, उधमसिंह नगर तथा मै0 दूनवैली आसवनी, देहरादून में स्थित है। आबकारी निरीक्षकों की कमी के कारण इनमें एक–एक आबकारी निरीक्षक

आबकारी सिपाही हैं। बाजपुर आसवनी में एक लिपिक भी है।

3. ब्रिवरीज़ :– जनपद हरिद्वार में मै0 दून वैली ब्रिवरीज गतवर्ष ही 2004–05 में स्थापित की गई है जिसको अतिरिक्त प्रभार के रूप में आबकारी निरीक्षक क्षेत्रा–रूड़की द्वारा संपापित किया जा रहा है।
4. विदेशी मदिरा बंधित निर्माणशाला (FLM-3) :– राज्य में केवल दो एक देहरादून में व दूसरी बाजपुर में ऐसे अनुज्ञापन स्वीकृत हैं। जिनमें आबकारी निरीक्षक प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में निरीक्षकों की कमी के कारण अतिरिक्त रूप से कार्य संपादन कराये जा रहे हैं।
5. बंधित आबकारी (देशी शराब) गोदाम में :– राज्य में वर्तमान में केवल 2 बंधित आबकारी गोदामों देहरादून व नैनीताल (हल्द्वानी) में स्वतंत्र रूप से आबकारी निरीक्षक नियुक्त हैं शेष जनपदों हरिद्वार, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में क्षेत्राीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा उधम सिंह नगर में स्थित आसवानियों के निरीक्षकों द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है।
6. विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापन में :– प्रत्येक जनपद में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा ही अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित किये जा रहे हैं।
7. सी0एस0डी0 डिपो, देहरादून में :– क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित कराये जा रहे हैं।
8. बंधित औषधि निर्माणशालाओं में :– इनमें भी क्षेत्राीय आबकारी निरीक्षक द्वारा ही कार्य संपादित किये जा रहे हैं ये निर्माणशालायें जनपद देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा में स्थित हैं।
9. प्रौहिबीशन सर्किल (मद्यनिषेध क्षेत्रों) में :– राज्य में ऐसे कोई मद्यनिषेध क्षेत्र कार्यरत नहीं है। सामान्यतः आंशिक रूप से ही मद्यनिषेध क्षेत्रा हैं जो अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में है।
10. चैकपोस्टों पर :– राज्य में वर्तमान में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित 13 चैकपोस्ट स्थापित है और वर्तमान में ये चैकपोस्ट भी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के पर्यवेक्षणाधीन हैं क्योंकि आबकारी निरीक्षक उपलब्ध नहीं है।
11. प्रवर्तन दलों में :– राज्य में मंडलीय स्तर पर प्रवर्तन एवं जांचकार्यों के संपादन हेतु देहरादून एवं नैनीताल में प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। जिसमें सहायक आबकारी आयुक्त के

सहयोगार्थ आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी स्टाफ उपलब्ध रहता है।

12. चीनी मिलों में :–शीरा नियंत्राण अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत शीरे के उत्पादन, संचय व सम्भरण एवं सम्भरण से प्राप्त होने वाले राजस्व पर नियंत्रण हेतु उप आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं और इनकी सहायतार्थ आबकारी सिपाही नियुक्त किये जाते हैं। वर्तमान में राज्य में 10 चीनी मिलें, डोईवाला (देहरादून) उत्तम, इकबालपुर व लक्सर (जनपद हरिद्वार में) तथा जनपद ऊधम सिंह नगर में काशीपुर, नादेही, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा व सितारगंज में चीनी मिले है।

अनुज्ञापनों का निरीक्षण/नियंत्रण सम्बन्धी मानक्रम :–

1. आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आबकारी अनुज्ञापनों के निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षण किये जाते हैं, तथा अनुज्ञापियों के कार्यकलापों, आचरण पर नियंत्रण रखा जाता है। अनियमिततायें पाये जाने पर जनपद के जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त को अवगत कराते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाता है।
2. जनपद के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वयं भी आयुक्त द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एवं आकस्मिक रूप से इन अनुज्ञापनों एवं आबकारी निरीक्षकों, उप आबकारी निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण किये जाते हैं और उनके द्वारा निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों/अनुज्ञापियों पर नियंत्रण रखा जाता है।
3. प्रवर्तन दल के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा उनको सुपुर्द की जाँचों/शिकायतों की जाँच की जाती है वरन् आयुक्त द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुज्ञापनों व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है।
4. आयुक्त के द्वारा उनको प्राप्त शिकायतों तथा विशेष रूप से उनके द्वारा नामित अधिकारियों से समय–समय पर अनुज्ञापनों के निरीक्षण क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों, जनपद के सहायक आबकारी आयुक्त एवं प्रवर्तन दल के कार्यों का भी निरीक्षण कराया जाता है

जनपद स्तर पर निरीक्षणों के मानक्रम, विवरण पत्रों के प्रारूप निर्धारित किये गये हैं जो आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम में व खण्ड द्वितीय में तथा अन्य संबंधित नियमावलियों में निरूपित हैं एवं अवलोकनीय हैं।

विवरण पत्र – सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण

उपरोक्तानुसार सभी ईकाईयों/अनुज्ञापनों से उनमें संपादित कार्यों, अपराध निरोधक क्षेत्राों से अपराध शमन कार्यो, राजस्व अर्जन, मादकों के उपभोग, अपराधों के अभियोजन आदि तथा आसवनियों से शीरा–प्राप्ति/उपभोग, एल्कोहल उत्पादन, बिक्री, चीनी मिलों से शीरा उत्पादन/संचय/समरण, ब्रिवरीज, विदेशी मदिरा निर्माणशालाओं में बियर/एल्कोहल की प्राप्ति एवं विदेशी मदिरा निर्माण बंधित देशी शराब गोदाम व भांग संचय केन्द्र से निर्धारित प्रारूपों में पाक्षिक/मासिक विवरण पत्र जैसा कि आयुक्त/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये हैं, आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने जनपद के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों को प्रेषित करते हैं।

सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद के उपरोक्तानुसार समस्त विवरण–पत्रों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूपों में संकलित कर आबकारी आयुक्त के मुख्यालय में प्रेषित किये जाते हैं। आयुक्तालय में इन विवरण पत्रों की अनुभागवार समीक्षा की जाती है और विभागाध्यक्ष को अपराधशमन, राजस्व अर्जन, मादकों के उपभोग, शीरा उत्पादन, संचय, समरण, एल्कोहल उत्पादन, उपभोग आदि से तथा विभागीय बजट आवंटन, उपयोग एवं आवश्यकता की समीक्षा की जाती है।

आयुक्तालय के द्वारा शासन को उक्तानुसार स्थिति से अवगत कराया जाता है।

नोटः–

1- विभाग में स्वीकृत किये जाने वाले अधिनियमों/नियमावलों के अन्तर्गत अनुज्ञापनों के संबंध में समय–समय कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित एवं विहित प्रारूपों में सूचनायें/विवरण पत्र भेजे जाने के निर्देश प्रसारित किए जाते रहे हैं। वर्ष 2006–07 के लिए अनुज्ञापनों का नवीनीकरण के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्याः8045–57/7/लाईसेंस/2005–06/समय सारिणी अनुज्ञा दिनांक 31 जनवरी, 2006 के द्वारा सभी जिलाधिकारियों/ जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

2. विभागीय अधिकारियों एवं फील्ड के अधिकारियों/निरीक्षकों आदि के लिए क्षेत्रों में स्वीकृत निरीक्षण आदि के मानदण्ड मापमान निर्धारित हैं जो आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम भाग–4 के प्रस्तर 58 में उल्लिखित हैं व अवलोकनीय हैं। उत्तरांचल में

वर्तमान में मण्डलीय स्तर पर उप आबकारी आयुक्त का पद सृजित नहीं है केवल सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) के पद स्वीकृत हैं जो मुख्यालय संयुक्त आबकारी आयुक्त के अधीन रहते हुए निरीक्षण एवं जांच कार्य सम्पादित करते हैं।

आबकारी आयुक्त के आदेश संख्याः 4254/ चार– 541 दिनांक जनवरी 16, 1988

58 (सी) अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षण तथा अन्य संबंधित कार्यों के मानकम निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं।

(अ) उप आबकारी आयुक्त चार्जः–

1. दौरे के दिन	12 प्रतिमास
2. रात्रि निवास	6 प्रतिमास
3. अपराध निरोधक क्षेत्र	
(क) वे क्षेत्र जिनका मुख्यालय उपायुक्त के मुख्यालय पर स्थित हैः–	तीन मास में एक बार
(ख) वे क्षेत्र जिनका मुख्यालय उपायुक्त के मुख्यालय पर स्थित नहीं हैः–	चार मास में एक बार
4. आसवनीः–	
आयुक्त के आदेश संख्याः41/0/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86/दि0 19.3.86 के अनुसार किये जाये।	
5. बंधित गोदाम	
(क) वे बंधित गोदाम जो उपायुक्त के मुख्यालय पर स्थित हैं	तीन मास में एक बार
(ख) वे बंधित गोदाम जो उपायुक्त के मुख्यालय से बाहर स्थित हैं	4 मास में एक बार
6. बंधित निर्माणशालायें:–	
(क) जो उपायुक्त के मुख्यालय पर हैं	चास मास में एक बार
(ख) जो उपायुक्त मुख्यालय से बाहर हैं	6 मास में एक बार
7. अबंधित निर्माणशालायें	
(क) जो उपायुक्त मुख्यालय पर हैं	25 प्रतिशत प्रतिशालायें
(ख) जो उपायुक्त मुख्यालय से बाहर हैं	10 प्रतिशत निर्माणशालायें
8. ––––– अधिकारी कार्यालय	
(क) उपायुक्त के मुख्यलय जनपद में स्थित	3 मास में एक बार
(ख) उपायुक्त मुख्यालय जनपद के बाहर	4 मास में एक बार
9. सरकारी दुकानें	
(क) उपायुक्त के मुख्यालय जनपद के नगरपालिका क्षेत्र की	6 मास में एक बार
(ख) उपायुक्त के मुख्यालय जनपद के बाहर जिले की	6 मास में एक बार
(ग) देहात की दुकानें जिनका अनुज्ञापन शुल्क 10 लाख से ऊपर हैः–	वर्ष में एक बार
(घ) जिन दुकानों का निर्धारित निर्गम मूल्य देर में जमा हो रहा है तथा कोटा भी देर से उठाया जा रहा है उनका निरीक्षण उपायुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।	
10. चीनी मिलों में नियुक्त आबकारी निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षक का कार्य तथा चीनी मिलेंः–	
(क) जो उपायुक्त के मुख्यालय जनपद में हैः–	आयुक्त आदेश सं0 4170/ए0टी0लैब0/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86/ दिनांक 19.3.86 के अनुसार किये जायेंगे।
(ख) जो उपायुक्त के मुख्यालय के बाहर के जिलों में हैं:–	
11. चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि पहाड़ी जिलों के लिए निम्न मानकम निर्धारित किये जाते हैं:–	
(क) अपराध निरोधक क्षेत्र	वर्ष में दो बार
(ख) जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय	वर्ष में दो बार
(ग) गोदाम तथा डिपो	वर्ष में दो बार
(घ) जिले के मुख्यालय की दुकानें	वर्ष में दो बार

(ड) बंधित निर्माणशालायें	वर्ष में दो बार
(च) अबंधित निर्माणशालायें तथा अन्य लाइसेंस	वर्ष में दो बार
(ब) सहायक आबकारी आयुक्त/आबकारी अधीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी	
1. (क) दौरे के दिन	10 दिन प्रतिमाह
(ख) रात्रि प्रवास	5 दिन प्रतिमाह
2. अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षकों का कार्य	
(क) जिनका मुख्यालय सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर स्थित है–	तीन मास में एक बार
(ख) जिनका मुख्यालय स0आ0आ0 के मुख्यालय के बाहर है–	4 मास में एक बार
3. आसवनी के निरीक्षण आयुक्त उ0प्र0 के आदेश संख्याः 4170/ए0टी0लैब/शीरा0अल्को0नियंत्रण/86, दिनांक 19.3.86 के अनुसार किये जायें।	
जिन आसवनियों में विभागीय सहायक आबकारी आयुक्त आबकारी अधीक्षक नियुक्त नहीं हैं–	6 मास में एक बार
4. बंधित गोदाम	
(क) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अन्दर है	3 मास में एक बार
(ख) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय से बाहर हैं	4 मास में एक बार
5. बंधित निर्माणशालायें:–	
(क) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अन्दर है–	4 मास में एक बार
(ख) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय से बाहर हैं–	6 मास में एक बार
6. अबंधित निर्माणशालायें	
(क) जो मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अन्दर है–	निर्माणशाला का 50 प्रतिशत
(ख) जो मुख्यालय से बाहर हैं–	निर्माणशाला का 25 प्रतिशत
7. जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय–	तीन माह में एक बार
8. आबकारी दुकानें	
1. देशी/विदेशी मदिरा/ताड़ी तथा भांग की दुकानें	
(क) सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के आठ किलोमीटर के अन्दर–	तीन माह में एक बार
(ख) सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के बाहर 3 लाख से ऊपर है–	6 मास में एक बार
(ग) जो दुकानें 3 लाख से कम हैं–	वर्ष में एक बार
(घ) जिन दुकाकनों का निर्धारित निर्गम मूल्य देर से जमा हो रहा है तथा कोटा भी देर से उठाया जा रहा है, उनका निरीक्षण, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कम से कम माह में एक बार किया जायेगा।	
(ड.) अन्य लाइसेंस–	वर्ष में एक बार
9. चीनी मिलें तथा उनमें नियुक्त आबकारी निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षकों के कार्य–	
आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा	
10. अन्य लाइसेंस	
(क) जो मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अन्दर है–	6 मास में एक बार
(ख) जो मुख्यालय के 8 किलोमीटर के बाहर है–	वर्ष में एक बार
(ख) आबकारी निरीक्षक	
1. दौरे के दिन	

(क) जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम नहीं स्थित हैं–	20 दिन प्रतिमाह
(ख) जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम स्थित हैं–	12 दिन प्रतिमाह

2. रात्रि प्रवास–

नोट– सेक्टर के आबकारी निरीक्षक अपने–अपने सेक्टर पर प्रभावी नियंत्रण हेतु भ्रमण करते रहेंगे। उन पर निर्धारित दौरे के दिन और रात्रि प्रवास का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

3. आबकारी दुकानों का निरीक्षण

(क) आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में स्थित देशी शराब/अंग्रेजी शराब, ताड़ी तथा भांग की दुकानें–	मास में दो बार
(ख) अन्य लाइसेंस (एफ0एल0–6, एफ0एल0–7, एफ0एल0–9, एफ0एल0–17, एफ0एल0–16, पेट्रोल पम्प आदि)	
(ग) जिन दुकानों का निर्धारित निर्गम मूल्य समय से जमा नहीं हो रहा है और कोटा भी विलम्ब से उठाया जा रहा है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाये–	
(घ) संदिग्ध गांव/मुहल्ले–	

(ड) सहायक आबकारी आयुक्त (शीरा)

1. आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा।

2. आबकारी निरीक्षकों/उप आबकारी निरीक्षकों का कार्य	4 माह में एक बार
3. आबकारी अधीक्षक, शीरा कार्यालय–	4 माह में एक बार

(ड.) आबकारी अधीक्षक (शीरा)

आबकारी आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा।

2. आबकारी निरीक्षकों/उप आबकारी निरीक्षकों का कार्य–	तीन माह में एक बार

(घ) सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)

1. मुख्यावास जनपद में स्थितः–

(क) देशी/विदेशी मदिरा, भांग की दुकानें एवं अन्य दुकानें	उप आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0 के निर्देशानुसार
(ख) बंधित गोदाम	6 माह में एक बार
(ग) आसवनी	6 माह में एक बार
(घ) औद्योगिक इकाई	6 माह में एक बार
(ड.) बंधित एवं अबंधित निर्माणशालायें	6 माह में एक बार
(च) चीनी मिलें–आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा।	
2. मुख्यावास जनपद के बाहर के जिलों की देशी मदिरा	उपायुक्त, ई0आई0बी0 के
(क) विदेशी मदिरा, ताड़ी, भ्साांग एवं अन्य दुकानें	निर्देशानुसार
(ख) बंधित गोदाम	6 मास में एक बार
(ग) आसवनी	वर्ष में दो बार
(घ) औद्योगिक इकाई	वर्ष में दो बार
(ड.) बंधित एवं अबंधित निर्माणशालायें	वर्ष में दो बार
(च) चीनी मिलें	वर्ष में दो बार

नोट– उपर्युक्त के अलावा विभिन्न अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय–समय पर अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञापनों/ईकाइयों की आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षणों में पकड़ी गयी गंभीर अनियमितताओं की सूचना अगले माह की 7 तारीख तक ई0आई0बी0 अनुभाग में निम्न प्रारूप में प्रेषित करेंगेः–

प्रारूप

1. कमांक

2. निरीक्षण की तिथि एवं समय
3. आसवनी/चीनी मिल/बंधित गोदाम निोधक क्षेत्र एवं दुकान का नाम (जनपद सहित)
4. पकड़ी गयी अनियमिततायें
(प्रत्येक अनियमितता का संक्षिप्त विवरण दिया जाये)----------
5. प्रशमित किया गया अथवा अभियोग पत्र न्यायालय में भेजा गयाः-
(क) प्रशमंन शुल्क एवं चालान संख्या (दिनांक सहित)----------
(ख) न्यायालय में अभियोग-पत्र भेजने का दिनांक----------
6. पकड़ी गयी गंभीर अनियमितता/विषैले, नशीले पदार्थों के अपमिश्रण में संक्षिप्त विवरण----------
7. स्तम्भ-6 पर उल्लिखित अनियमितता क्या प्रथम बार पकड़ी गयी है? यदि नहीं तो इस प्रकार पूर्व में पकड़ी गयी अनियमितता का विवरण----------
8. स्तम्भ '6' पर उल्लिखित अनियमितता के संदर्भ में सम्बन्धित निरीक्षक के लिए प्रस्तावित कार्यवाही----------
9. अन्य विवरण----------

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या **9453-65**/पांच-ई0आई0बी0 /दिनांकः जनवरी, 04, 2004

1. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरांचल।

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहबाद के पत्र संख्या 831-914/11-ई0आई0बी0 /निरीक्षण/मानक्रम दिनांक 13.06.95 के द्वारा दौरे, रात्रि प्रवास एवं निरीक्षण के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किये गये हैं, जो अभी भी (उत्तरांचल में भी) प्रभावी है, तथा निम्नवत है :-

आबकारी निरीक्षक

1. दौरे के दिन :-

(क)	जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम नही है	वर्ष में 180 दिन
(ख)	जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम स्थित हैं	माह मे 10 दिन

2. रात्रि प्रवास

नोट :- सेक्टर के आबकारी निरीक्षक अपने-अपने सेक्टर का प्रभावी नियंत्रण हेतु भ्रमण करते रहेंगे। उन पर निर्धारित दौरे के दिन/रात्रि प्रवास का कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा।

3. आबकारी दुकानों का निरीक्षण

(क)	आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में स्थित देशी/विदेशी शराब, ताडी तथा भांग की दुकानें	1. प्रधानावास के 8 किमी के अन्तर्गत स्थित माह में दो बार 2. प्रधानवास के 8 किमी के बाहर स्थित दुकानें माह में एक बार

नोट :- जिन दुकानों का निर्धारित राजस्व समय से जमा नही हो रहा है और कोटा भी विलम्ब से उठाया जा रहा है उन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(ख)	शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई	दो माह में एक
(ग)	संदिग्ध गांव/मौहल्ले	1 माह में एक बार
4. (अ)	बी0डब्लु0एफ0एल0-2, एफ0एल0-2	माह में 1 बार
(ब)	एफ0एल0-6, 6ए, 7, 7ए	माह में 1 बार
(स)	एफ0एल0-9, 9ए	माह में 1 बार
(द)	एफ0एल0-716, 17	माह में 1 बार

(य)	एफ0एल0–39,40 व 41	2 माह में एक बार
5.	अन्य विविध अनुज्ञापन	2 माह में एक बार

सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी

1–(क)	दौरे के दिन	100 दिन प्रति वर्ष
(ख)	रात्रि प्रवास	6 रात्रि प्रति माह
2–	अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षकों का कार्य	
(क)	जिनका मुख्यालय जनपद के मुख्यालय पर स्थित हैं	3 माह में एक बार
(ख)	जिनका मुख्यालय जनपद के मुख्यालय के बाहर है	6 माह में दो बार
3–	जिन आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त नही है	2 माह में एक बार
4–	बंधित गोदाम	
(क)	जनपद के मुख्यालय का गोदाम	2 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय से बाहर स्थित गोदाम	3 माह मे एक बार
5–	बंधित निर्माण शालाएं	
(क)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित	3 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय से बाहर अन्य क्षेत्र में स्थित	4 माह में एक बार
6–	अबंधित निर्माण शालाए	
(क)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित	3 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय से बाहर अन्य क्षेत्र में स्थित	4 माह में एक बार
7–(अ)	बी0डब्लु0एफ0एल0–2, एफ0एल0–2	3 माह में एक बार
(ब)	एफ0एल0–6, 6ए, 7, 7ए	3 माह में एक बार
(स)	एफ0एल0–9, 9ए	6 माह में एक बार
(द)	एफ0एल0–16	6 माह में एक बार
	एफ0एल0–17	वर्ष में एक बार
(य)	एफ0एल0–39,40 व 41	6 माह में एक बार
8–	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय	3 माह में एक बार
9–	आबकारी दुकानें	
	देशी शराब/विदेशी शराब/ताडी/भांग की दुकानें	
(क)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र की दुकानें	2 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित दुकानें	4 माह में एक बार
(ग)	जिन दुकानों/ग्रुपों की लाईसेंस फीस/राजस्व की अदायगी समय से नही हो रही है अथवा कोटा देर से उठ रहा है अथवा उनके बारे में शिकायत है	माह में एक बार
(घ)	शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई	वर्ष में 4 बार
10–	चीनी मिलें तथा उसमें नियुक्त निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षक का कार्य	वर्ष में 6 बार पेराई सत्र में एक माह में एक बार
11–	विविघ अनुज्ञापन	वर्ष में एक बार

सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन

(क)	मुख्यालय जनपद में स्थित देशी/विदेशी संयुक्त ई0आई0बी0 के मदिरा/भांग एवं अन्य दुकानें	निर्देशानुसार

(ख)	बंधित गोदाम	6 माह में दो बार
(ग)	आसवनी	6 माह में दो बार
(घ)	औद्योगिक इकाई	6 माह में दो बार
(ड)	बंधित निर्माण शालाएं	6 माह में दो बार
(च)	अबंधित निर्माण शालाएं	6 माह में दो बार
(छ)	चीनी मिलें	वर्ष में दो बार तथा पेराई सत्र में कम से कम एक बार

मानकों के अनुसार आबकारी निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा कृत कार्य का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निम्न प्रारूप में आयुक्तालय को उपलब्ध कराने का प्राविधान है जो कि मुख्यालय को उपलब्ध नही कराये जा रहे हैं।

माह दिसम्बर 2003 से सम्बन्धित विवरण पत्र प्रत्येक दशा में 21.01.2004 तक अवश्य उपलब्ध करा दें।

प्रारूप

श्री ..... पद .....
द्वारा किये गये दौरे, रात्रि प्रवास एवं निरीक्षण का विवरण :–

कार्य का प्रकार	मानक के अनुसार निर्धारित संख्या		वास्तविक संख्या		कमी तथा उसका कारण
	माह	चलित योग	माह	चलित योग	
1. दौरे का दिन 2. रात्रि प्रवास 3. निरीक्षण कार्य :– क्षेत्र/कार्यालय/गोदाम/दुकान आदि व कुल संख्या 1. अपराध निरोधक क्षेत्र 2. आसवनी 3. बंधित गोदाम 4. बंधित निर्माण शालाएं 5. अबंधित निर्माण शालाएं 6. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी 7. विदेशी मदिरा की थोक बिक्री की दुकानें 8. देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की					

दुकानें 9. विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें 10. भांग की दुकानें 11. अन्य विविध दुकानें 12. औद्योगिक इकाईयां 13. संवेदनशील ग्राम/मौहल्ला 14. बी0डब्लूएफ0एल0–'2, एफ0एल0–2 15. एफ0एल0–6, 7, 6ए, 7ए 16. एफ0एल0– 9/9ए 17. एफ0एल0– 16, 17 18. एल0एल0– 39, 40 व 41 19. चीनी मिल 20. विविध अनुज्ञापन 21. अन्य					

तिथि :

हस्ताक्षर
नाम अधिकारी
पद.....

विशेष :– जो सम्बन्धित न हो कृपया काट दें।

कृपया निर्धारित मानक के अनुसार कृत दौरे, रात्रिप्रवास एवं निरीक्षणों के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों को भी अवगत कराते हुए मासिक विवरण पत्र उपरोक्त प्रारूप में आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त कर समीक्षा के उपरान्त उसकी एक प्रति आयुक्तालय को अग्रसारित करेंगे। इसी प्रकार आप भी अपने विवरण पत्र की एक प्रति आयुक्तालय को प्रेषित करेगें। जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने तथा अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों के मासिक विवरण पत्र प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(धीरेन्द्र शर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या **9453–65**/पांच–ई0आई0बी0 /तददिनांक
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, देहरादून/नैनीताल।
3. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।

(धीरेन्द्र शर्मा)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 **199–256** / पांच–ई0आई0बी0–79 / मान0–निरी0 / 2007–08 / दे0दून,दि0:जनवरी, **03**,2008

1. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त /
   जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त,
   प्रवर्तन दल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।

विषय : विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक्रम के अनुसार निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

आबकारी विभाग राज्य सरकार के लिये राजस्व संसाधन जुटाने वाला बड़ा विभाग है। राजस्व अर्जन के साथ–साथ यह प्रदेश के आद्यौगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। राजस्व की वसूली, अपराध शमन / प्रवर्तन कार्यवाहियों / चैकपास्टों के द्वारा करापवंचन की रोकथाम, चीनी मिलों में उत्पादित शीरें के नियन्त्रण, आसवनियों में एल्कोहल के उत्पादन एवं वितरण का पर्यवेक्षण तथा फामेंसियों की कार्य पद्धति की सूक्ष्म देखरेख के द्वारा राजस्व में वृद्धि एवं सुरक्षा तथा प्रदेश का औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

अतः विभागीय कार्य प्रणाली को चुस्त–दुरूस्त एवं प्रभावपूर्ण करने के उदेश्य से विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले दौरे / निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय के आदेश संख्या 9453–65 / पांच–ई0आई0बी0 / देहरादून,दिनांक 08.01.2004 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा फील्ड अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले दौरे, रात्रिप्रवास, निरीक्षण आदि के मानक्रम निर्धारण करते हुए, कृत कार्य का विवरण प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आयुक्तालय में उपलब्ध कराने के आदेश प्रसारित किये गये थे। लेकिन इन आदेशों का पूर्णतः अनुपालन आपके द्वारा नही किया जा रहा है। निर्धारित प्रारूप में उक्त विषयक कार्य विवरण पत्र अथवा निरीक्षण टीपों की प्रतियां आयुक्तालय में नियमित रूप से प्रेषित नही हो रही है।

यह स्थिति संतोषजनक नही है वरन् आपके राजकीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि:–

1. एतद्विषयक संलग्न आदेश दिनांक 08.01.2004 को दिये गये ओदशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. अतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित चैक पोस्टों पर चैकिग–कार्य पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी, प्रभारी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक एवं सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन दल) द्वारा क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपने दौरों के समय आवश्यक रूप से चैक
   पोस्टों का निरीक्षण किऐ जाएं तथा निरीक्षण टीम अभिलिखित की जाऐं तथा मासिक कार्य विवरण प्रारूप में भी प्रेषित किया जावे।

3. सहायक आबकारी आयुक्तों (प्रवर्तन दल) एवं जिला आबकारी अधिकारियों, का यह दायित्व होगा कि दौरे/निरीक्षण विषयक–पत्र विलम्बतम् प्रत्येक माह की 10 वी तिथि तक उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय को उपलब्ध करा दिये जाऐं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सं0 **257–277**/ पांच–ई0आई0बी0–79/मान0–निरी0/2007–08/दे0दून,दि0:तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय।
4. वित्त अधिकारी, मुख्यालय को इस आशय से कि यात्रा व्यय मद में यथा आवश्यकतानुसार अनुदान आबंटन की व्यवस्था कराये।
5. आबकारी, सचिव के निजी सचिव, को।

(हर्षवर्धन चतुर्वेदी)
उप आबकारी आयुक्त
ई0आई0बी0,
मुख्यालय,देहरादून।

संख्याः780–92 / पांच–ई0आई0बी0(01) 2003–04

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांकः अप्रैल 29, 2003

विषय :– अन्तर्राज्यीय चैक पोस्टों पर चैकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य में विभिन्न जनपदों में कुल 13 आबकारी चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है, जिन पर स्टॉफ भी नियुक्त किया जा चुका है। चैक पोस्टों के निरीक्षणों के समय यह देखने में आया कि उपस्थित स्टॉफ के द्वारा जांच किये जा रहे वाहनों का विवरण चैक पोस्टों पर समान रूप से प्रविष्टियां नहीं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में समरूपता को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं :–

1. एक पंजिका, जिसका प्रारूप संलग्न है, में सभी प्रकार के वाहनों की चैकिंग की प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. दूसरी पंजिका में निर्धारित प्रारूप में आबकारी विभाग द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों एवं नियमावलियों के अन्तर्गत आने वाली मादक वस्तुओं एवं अन्य पदार्थो से सम्बन्धित प्रविष्टियां की जायेंगी। मादक वस्तुओं एवं अन्य पदार्थो जिनका परिवहन पास (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5 / 6 आदि) द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों / नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है, से सम्बन्धित परिवहन पासों (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5 / 6 आदि) पर चैक पोस्ट पर वाहन के चैक किये जाने के प्रमाण स्वरूप परिवहन पास (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5 / 6 आदि) पर चैक पोस्ट की मोहर व चैक करने वाले कर्मचारी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। परिवहन पास (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5 / 6 आदि) का विवरण, इस पास के अन्तर्गत परिवहन किये जाने वाले पदार्थ / मादक वस्तु का विवरण का अंकन पंजिका में किया जायेगा। यदि कोई विसंगति चैक पोस्ट पर पायी जाती है, तो सम्बन्धित वाहन को चैक पोस्ट पर रोक दिया जायेगा और चैक पोस्ट के स्टाफ द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक / जिला आबकारी अधिकारी के संज्ञान में लाया जायेगा, जिनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3. जिला आबकारी अधिकारी मादक वस्तुओं एवं अन्य ऐसे पदार्थो के आयात एवं निर्यात परमिट जारी करते समय सम्बन्धित आयात/निर्यात पास में परिवहन पास में उस चैक पोस्ट का आवश्यक रूप से उल्लेख करेंगें, जिस मार्ग से परेषण गुजरेगा।
4. सम्बन्धित आयात परमिट के आधार पर परेषण जनपद में प्राप्त होने सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी, बंधित गोदाम/बंधाधीन गोदाम/बी0डब्लू0एफ0एल0–2/ एफ0एल0–2/आसवनी/चीनी मिल/एफ0एल0एम0–3 इस तथ्य को सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत परेषण निर्धारित मार्ग से ही आया है और उस पर जनपद में पड़ने वाली चैक पोस्ट पर चैकिंग कर ली गयी है, उसके उपरान्त ही सम्बन्धित परेषण का पंजिका में प्रविष्टि की जायेगी।
5. यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो जिसमें वाहन चालक परेषण को निर्धारित चैक पोस्ट से चैक कराकर नहीं लाया है अथवा प्रश्नगत परेषण परिवहन पास की वैधता अवधि के भीतर नहीं है, तो उससे लिखित कारण पूछा जाये कि किन परिस्थितियों में वह निर्धारित मार्ग से विचलित हुआ, और उसकी समुचित जांचोपरान्त ही सम्बन्धित परेषण को प्राप्त किया जाये।
6. सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे निर्धारित प्रारूप में पंजिका एवं अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करायेंगें और समय समय पर चैक पोस्टों का निरीक्षण करेंगें और उसमें अपनी प्रविष्टि अंकित करेंगें।
7. जबतक चैक पोस्टों पर आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिसके क्षेत्र में चैक पोस्ट स्थापित हुई है, उन चैक पोस्टों के प्रभारी निरीक्षक रहेगें एवं चैक पोस्टों के कार्यो एवं दायित्वों का सम्पादन सुनिश्चित करायेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगें।

(बी0सी0चन्दोला)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्याः793–855/पांच–ई0आई0बी0(01)2003–04/तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ।
2. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।
3. प्रभारी अधिकारी, आसवनियां/बाटलिंग यूनिट, उत्तरांचल।
4. समस्त आबकारी निरीक्षक, प्रभारी चैक पोस्ट, उत्तरांचल।
5. समस्त प्रभारी उप आबकारी निरीक्षक, चीनी मिलें, उत्तरांचल।

(बी0सी0चन्दोला)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी चैक पोस्ट प्रारूप–1

चैक पोस्ट का नाम :–

तिथि	वाहन चैकिंग का समय	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन में ले जा रहे सामान का विवरण	कहां से लाया गया	कहां ले जाया जा रहा है	ड्राईवर के हस्ताक्षर	उपस्थित आबकारी निरीक्षक / सिपाही के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आबकारी चैक पोस्ट प्रारूप–2

चैक पोस्ट का नाम :–

तिथि	क्रमांक	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नम्बर	परिवहन किये जा रहे मादक वस्तु / पदार्थ का नाम	कहां से लाया गया	कहां ले जाया जा रहा है	परिवहन पास संख्या एवं तिथि	क्या निर्धारित वैधता अवधि के भीतर है	ड्राईवर के हस्ताक्षर	उपस्थित आबकारी निरीक्षक / सिपाही के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 /पांच–ई0आई0बी0–01/चैक पोस्ट/देहरादून/वर्ष–2007–08/दि0:29,फर0 08

1.समस्त जिला आबकारी आधिकारी,
उत्तराखण्ड।
2.सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, देहरादून/नैनीताल।

विषय :– संयुक्त जांच चौकी के प्रभारी अधिकारियो के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने आदेश संख्या 72/XXVII(8)/ वाणि0कर/2008 दिनांक 23.01.2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संयुक्त जांच चौकियो के प्रभारी अधिकारियों के कार्य एवं दायित्यो के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जो निम्नवत् है :–

1. **असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, संयुक्त जांच चौकी का प्रभारी अधिकारी होगा।** वह पांचों विभागों के कर्मचारियों की जनशक्ति की उपस्थिति का ब्यौरा रखेगा एवं पांचो विभागों की उपस्थिति पंजिका प्रभारी अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगी।
2. उपार्जित/आकस्मिक अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी सम्बन्धित विभाग का ही होगा परन्तु इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी को भी सूचित किया जायेगा। साथ ही **अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अवकाश पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी की वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगे।**
3. एक विभाग के कर्मचारी की तैनाती किसी भी अवस्था में दूसरे विभाग में नही की जायेगी परन्तु यदि किसी कारणवश किसी विभाग का कोई भी कर्मचारी जांच चौकी की ड्यूटी पर नहीं आता है तो सम्बन्धित विभाग के नियंत्रक अधिकारियों को सूचना देगे तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी तुरन्त विकल्प प्रस्तुत करेगे। **असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर, जांच चौकी सभी विभागों का पर्यवेक्षक अधिकारी रहेगा।**
4. **जांच चौकी के सामान्य रख रखाव–सफाई, पानी, बिजली आदि व्यवस्था का दयित्व प्रभारी अधिकारी का होगा।**
5. जांच चौकी प्रभारी की अनुपस्थिति में व्यवस्था/रख रखाव का दायिव्त वाणिज्य कर विभाग के तैनात जांच चौकी इन्चार्ज का होगा।
6. **समस्त विभाग अपने–अपने विभाग की जांच चौकी केन्द्रों का विस्तृत निरीक्षण करेगे तथा रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी को भेजेगे।**
7. **अभिलेखों के रख–रखाव/समुचित व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा।** जो अभिलेख पांचो विभागों से सम्बन्धित होगें वे एक ही स्थान पर रखे जोयेगें और उसका दायित्व प्रभारी अधिकारी का होगा।
8. यदि प्रभारी अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि किसी भी विभाग को कोई भी कर्मचारी अनुशासनहीनता अथवा अपने दायित्व निर्वहन में उदासीनता या अक्षमता दिखाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारियों को उस कर्मचारी को हटाने की संस्तुति कर सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उक्त कार्मिक जांच चौकी पर ही कार्यरत् रहेगा।

9. **संयुक्त जांच चौकी पर तैनात पांचों–विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन, भत्ता आदि सम्बन्धित विभागों द्वारा ही आहरित वितरित किया जायेगा।** जांच चौकी प्रबन्धन में होने वाले व्यय का नियंत्रण जांच चौकी प्रभारी अधिकारी के अधीन रहेगा। पांचो विभाग के तैनात तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक अन्तिम प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार सम्बन्धित विभाग का होगा तथा प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी सम्बन्धित विभाग के होगे किन्तु समीक्षक अधिकारी द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर, प्रभारी की संस्तुति को भी वार्षिक मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

कृपया उक्तानुसार आदेशो का अनुपालन स्वयं करना एवं चैक पोस्टों पर नियुक्त अधीनस्थ आबकारी निरीक्षक एवं उप आबकारी निरीक्षक व स्टाफ से कराना सुनिश्चित किया जाये।

(डा0 रणवीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या /पांच–ई0आई0बी0–01/चैक पोस्ट/देहरादून/वर्ष–2007–08/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून।
5. समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
7. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।

(डा0 रणवीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

फैक्स

समयबद्ध / अतिआवश्यक

कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तराखण्ड,देहरादून

सं0 **80–92** / पांच–ई0आई0बी0–202 / गो0नो0पंजि0–मान0 / दे0दून / दि0:अप्रैल, **24** 09

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त /
जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय :– वर्ष 2008–09 में जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जनपदीय अपराध क्षेत्रों के सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) अनुरक्षित की जायेगी जो 05 खण्डो में आबकारी मैनुअल Vol-01 (1974) Para 113(4) में प्रासंगिक प्रविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार होगी :–

भाग – 1, सामान्य

क– क्षेत्र तथा जनसंख्या के बारे में सामान्य आकड़े

ख– प्राकृतिक संरचना

ग– संचार के साधन

ध– मादक द्रव्यों का उपभोग करने वाले मुख्य वर्गो की आर्थिक स्थिति और आय के उनके प्रमुख स्रोत

ड– दौरा तथा रात्रि विश्राम

च– मादक द्रव्यों के मूल्य – निर्गम तथा फुटकर

भाग –2, प्रशासनिक

क– आबकारी तथा पुलिस – पता लगाने में सहयोग तथा अभियोजन कार्य

ख– स्थानीय स्थितियॉ

ग– उप आबकारी निरीक्षक उनकी ईमानदारी, बुद्धि, श्रम, आश्रिता इत्यादि के सम्बन्ध मे

घ– प्रधान आबकारी सिपाही / आबकारी सिपाही उनकी ईमानदारी, आज्ञा पालन, श्रम, खोजी कार्य के लिए क्षमता इत्यादि के सम्बन्ध मे

भाग –3, मद्य निषेध

क– मद्य निषेध आन्दोलन – सोसाइटी या समितियॉ

ख– जाति पंचायत

ग– स्थानीय मेले

भाग– 4, अपराध

क– आबकारी अपराध–पृथक् रूप से प्रत्येक शीर्षक के अधीन अपराधो के प्रचलन, वितरण, निवारण तथा नियन्त्रण के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी

ख– निगरानी की आवश्यकता करने वाले आधिक्य दुकान

ग– आभ्यासिक आबकारी अपराधी

घ– सन्देहास्पद व्यक्ति–नाम तथा सन्देह के लिए कारण

ड– सूचनादाता

च– सीमावर्ती अपराध

भाग– 5, राजस्व

क– अनुज्ञापन के विभिन्न प्रणालियों के कार्य

ख– आबकारी ठेकों के सम्बन्ध में एकाधिकार

ग– अवांछनीय अनुज्ञप्तिधारी

घ– सरकारी बकायों की अदायगी को विलम्बित करने वाले आबकारी विक्रेता

क0 स0	जनपद	पूर्व में निर्धारित अपराध निरोधक क्षेत्र	नवसृजित अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र का मुख्यालय
1	**नैनीताल**	क्षेत्र–1, नैनीताल		नैनीताल
2		क्षेत्र–2, हल्द्वानी		हल्द्वानी
3			**क्षेत्र–3, रामनगर**	**रामनगर**
4	**उधमसिंहनगर**	क्षेत्र–1,रूद्रपुर		रूद्रपुर
5		क्षेत्र–2, खटीमा		खटीमा
6		**क्षेत्र–3, काशीपुर**	**क्षेत्र–3, काशीपुर**	**काशीपुर**
7		**क्षेत्र–4, बाजुपर**	**क्षेत्र–4, बाजुपर**	**बाजुपर**
8	**अल्मोडा**	क्षेत्र–1, अल्मोडा		अल्मोडा
9		क्षेत्र–2, रानीखेत		रानीखेत
10		**क्षेत्र–3, भिक्यासैण**	**क्षेत्र–3, भिक्यासैण**	**भिक्यासैण**
11	**बागेश्वर**	**क्षेत्र–1, बागेश्वर**	**क्षेत्र–1, बागेश्वर**	**बागेश्वर**
12	**चम्पावत**	क्षेत्र–1, चम्पावत		चम्पावत
13		**क्षेत्र–2, टनकपुर**	**क्षेत्र–2, टनकपुर**	**टनकपुर**
14	**पिथौरागढ**	क्षेत्र–1, पिथौरागढ		पिथौरागढ
15		क्षेत्र–2, डी0डी0हाट		डी0डी0हाट
16		क्षेत्र–3, धारचूला		धारचूला
17		**क्षेत्र–4, मुनस्यारी**	**क्षेत्र–4, मुनस्यारी**	**मुनस्यारी**

ड– आबकारी दुकान

आप अवगत है पूर्व आदेश पत्रांक 360/अ

धि0– एक/क्षेत्रों का पुनर्गठन/2005–06 /दिनांक 01.12.2005 द्वारा आबकारी विभाग में स्वीकृत आबकारी क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन करते हुए जनपदवार निम्नुसार क्षेत्रों का निम्नवत् पुनर्गठन एवं उनके प्रधानावास का निर्धारण किया गया :–

आवश्यक निर्देश :–

1. प्रत्येक वर्ष गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) पर अपना सुस्पष्ट मत अंकित करते हुए अनुमोदन हेतु वर्ष समाप्ति के पश्चात् 15 अप्रैल तक उपायुक्त, मुख्यालय को भेजेगे।

2. जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र का मानचित्र रखेगा, जिनमें उन स्थानों को अंकित किया जाएगा जिनसे आबकारी अपराध का पता अद्यतन लग सके।

18	**हरिद्वार**	क्षेत्र–1, हरिद्वार		हरिद्वार
19		क्षेत्र–2, रूडकी		रूडकी
20		**क्षेत्र–3, लक्सर**	**क्षेत्र–3, लक्सर**	**लक्सर**
21	**देहरादून**	**क्षेत्र–1 देहरादून**		
22		**(क)सेक्टर–1 देहरादून**		**देहरादून**
23		**(ख)सेक्टर–2 देहरादून**	**देहरादून**	**देहरादून**
24		सेक्टर–2 मसूरी		देहरादून/मसूरी
25		क्षेत्र–2, मसूरी		
26		क्षेत्र–3, ऋषिकेश		ऋषिकेश
27		**क्षेत्र–4, चकराता**	**चकराता**	**चकराता/कालसी**
28	**टिहरी**	क्षेत्र–1, टिहरी		टिहरी
29		क्षेत्र–2, नरेन्द्रनगर		नरेन्द्रनगर
30		**क्षेत्र–3, कीर्तिनगर**	**क्षेत्र–3, कीर्तिनगर**	**कीर्तिनगर**
31	**पौडी**	क्षेत्र–1, पौडी		पौडी
32		क्षेत्र–2, कोटद्वार		कोटद्वार
33		**क्षेत्र–3, थैलीसेण**	**क्षेत्र–3, थैलीसेण**	**थैलीसेण**
34		**क्षेत्र–4, यमकेश्वर**	**क्षेत्र–4, यमकेश्वर**	**यमकेश्वर*** *जिलाधिकारी पौडी के अनुरोध पर क्षेत्र का मुख्यालय लैंसडाऊन की अनुमति आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 06.01.2006 द्वारा प्रदान की गई है।
35	**रूद्रप्रयाग**	क्षेत्र–1, रूद्रप्रयाग		रूद्रप्रयाग
36	**उत्तरकाशी**	क्षेत्र–1, उत्तरकाशी		उत्तरकाशी
37		क्षेत्र–2, पुरोला		पुरोला
38		**क्षेत्र–3, बड़कोट**	**क्षेत्र–3, बड़कोट**	**बड़कोट**
39		**क्षेत्र–4, डुण्डा**	**क्षेत्र–4, डुण्डा**	**डुण्डा**
40	**चमोली**	क्षेत्र–1, चमोली		चमोली
41		**क्षेत्र–2 कर्णप्रयाग**	**क्षेत्र–2 कर्णप्रयाग**	**कर्णप्रयाग**
42		**क्षेत्र–3 जोशीमठ**	**क्षेत्र–3 जोशीमठ**	**जोशीमठ**
इसके अतिरिक्त प्रवर्तन दल ईकाईयों में अपराध निरोधक क्षेत्रों की स्थिति निम्नवत् है :–				
43	**प्रवर्तन दल देहरादून**	प्रवर्तन दल देहरादून		देहरादून
44	**प्रवर्तन दल नैनीताल**	प्रवर्तन दल नैनीताल		नैनीताल

3. प्रत्येक प्रवर्तन ईकाईयो द्वारा जो जनपदो में उनके द्वारा वर्ष 2008–09 में कोई उल्लेखनीय कार्यवाही की गई हो उसपर सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे तथा जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रों पर अपना सुस्पष्ट मत अंकित करते हुए आदि की सूचना तैयार कर आयुक्तालय को प्रस्तुत करेगे।

4. जनपदीय सहायक आबकारी आयुक्त, कार्यालय में सम्बन्धित समस्त अपराध निरोधक क्षेत्रों की गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रो की एक–एक प्रति अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेगे।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2008–09 में जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रों पर अपना सुस्पष्ट मत अंकित करते हुए 15 दिन में विलम्बतम् दिनांक 08.05.2009 तक अवगत करना सुनिश्चित करें।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सं0 /पांच–ई0आई0बी0–202/गो0नो0पंजि0–मान0/दे0दून/दि0:तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून।
5. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, देहरादून/नैनीताल।
6. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

पंजीकृत–डाक / फैक्स

कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तराखण्ड,देहरादून

सं0 **896–908** / पांच–ई0आई0बी0–166 / जाचं पत्रां0 / वर्ष 2009–10 / दि0:दिसम्बर **24,** 2009

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय :– प्रभारी अधिकारियों / आबकारी निरीक्षकों / आबकारी स्टाफ के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध मे।

प्रभारी अधिकारियों / आबकारी निरीक्षकों / आबकारी स्टाफ के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है, जो निम्नवत् है :–

1) आबकारी अपराधों की दृष्टि से पडने वाले संवेदनशील स्थलों / राज्य बार्डरों पर चैकिग के दौरान आबकारी निरीक्षक / प्रधान आबकारी सिपाही / आबकारी सिपाही एवं अन्य आबकारी स्टाफ को दबिश के दौरान आबकारी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार एक या दो व्यक्ति सादे कपडों में रखे जा सकते है अन्यथा निर्धारित वर्दी का ही प्रयोग किया जाये।
2) राजकीय वाहन को प्रत्येक जनपद में एक या एक से अधिक आवंटित किये गये है को जहां तक सम्भव हो दबिश / चैकिग के दौरान में लाये जायेगे।
3) मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर महत्वपूर्ण अति–संवेदनशील स्थलों / राज्यों बर्डरों पर महत्वपूर्ण दबिश / वाहन चैकिग की स्थिति में सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी अपने नेतृत्व में दबिश पार्टी को संचालित करेगे।
4) संवेदनशील दबिश के दौरान सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करते हुए आवश्यकतानुसार यथोचित पी0ए0सी0 / पुलिस बल प्राप्त कर समन्वय स्थापित करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5) गस्त / चैकिग पर प्रस्थान करने से पूर्व जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक एस0एम0एस0 (SMS) द्वारा अपने जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगे, तथा उसका उल्लेख निर्धारित दैनिक डायरी (D–8) में भी करेंगे।

   जिस दबिश में कोई महत्वपूर्ण अभियोग पकडा जाता है अथवा कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है उस केस का विवरण जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 एवं आबकारी सहायक, ई0आई0बी0, मुख्यालय को एस0एम0एस0 (SMS) द्वारा सूचित करेगे, तथा आबकारी सहायक ई0आई0बी0 द्वारा पंजिका में एस0एम0एस0 (SMS) का रिकार्ड रखा जायेगा। उपरोक्त एस0एम0एस0 (SMS) भेजने के अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी जाएगी जिसे आबकारी सहायक ई0आई0बी0 द्वारा अनुरक्षित रखा जाएगा।
6) स्थान तलाशी जिसमें किसी भवन तथा अहाता अथवा घेरा (Enclosure) सम्मिलित है के दौरान आबकारी निरीक्षक को स्वयं मौके पर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा फर्द तलाशी एवं अन्य कागजात नक्शा माल डी–19सी (D-19-C) प्रवर्तन कार्य के दौरान मौके पर ही भरी जाए।
7) जनपद में वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक से नियमित सम्पर्क बनाए रखा जाए।
8) जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक अपनी निर्धारित साप्ताहिक डायरी माह की दिनांक 1, 8, 16, 23 को (to be submitted on 1st , 8th, 16th & 23th of the month) तथा सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी, अपनी दैनिक डायरी का मासिक संकलित विवरण माह

की दिनांक 04 को (to be submitted on 04th of the month) उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय को उपलब्ध कराएगें।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सं0 **909–988** / पांच–ई0आई0बी0–166 / जाचं पत्रां0 / वर्ष 200

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रा।षत।

1. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस, महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, गढ़वाल मण्डल एवं सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. सहायक आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिग, मुख्यालय।
10. सहायक आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय।
11. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
12. आबकारी सहायक, ई0आई0बी0, मुख्यालय।
13. गार्ड फाईल।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

आबकारी आयुक्त के आदेश संख्याः 4254/ चार– 541 दिनांक जनवरी 16, 1988

58 (सी) अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षण तथा अन्य संबंधित कार्यों के मानकम निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं।

(अ) उप आबकारी आयुक्त चार्जः–

1. दौरे के दिन	12 प्रतिमास
2. रात्रि निवास	6 प्रतिमास
3. अपराध निरोधक क्षेत्र	
(क) वे क्षेत्र जिनका मुख्यालय उपायुक्त के मुख्यालय पर स्थित हैः–	तीन मास में एक बार
(ख) वे क्षेत्र जिनका मुख्यालय उपायुक्त के मुख्यालय पर स्थित नहीं हैः–	चार मास में एक बार
4. आसवनीः–	
आयुक्त के आदेश संख्याः41/0/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86/दि0 19.3.86 के अनुसार किये जाये।	
5. बंधित गोदाम	
(क) वे बंधित गोदाम जो उपायुक्त के मुख्यालय पर स्थित हैं	तीन मास में एक बार
(ख) वे बंधित गोदाम जो उपायुक्त के मुख्यालय से बाहर स्थित हैं	4 मास में एक बार
6. बंधित निर्माणशालायेंः–	
(क) जो उपायुक्त के मुख्यालय पर हैं	चास मास में एक बार
(ख) जो उपायुक्त मुख्यालय से बाहर हैं	6 मास में एक बार
7. अबंधित निर्माणशालायें	
(क) जो उपायुक्त मुख्यालय पर हैं	25 प्रतिशत प्रतिशालायें
(ख) जो उपायुक्त मुख्यालय से बाहर हैं	10 प्रतिशत निर्माणशालायें
8. ––––– अधिकारी कार्यालय	
(क) उपायुक्त के मुख्यलय जनपद में स्थित	3 मास में एक बार
(ख) उपायुक्त मुख्यालय जनपद के बाहर	4 मास में एक बार
9. सरकारी दुकानें	
(क) उपायुक्त के मुख्यालय जनपद के नगरपालिका क्षेत्र की	6 मास में एक बार
(ख) उपायुक्त के मुख्यालय जनपद के बाहर जिले की	6 मास में एक बार
(ग) देहात की दुकानें जिनका अनुज्ञापन शुल्क 10 लाख से ऊपर हैः–	वर्ष में एक बार
(घ) जिन दुकानों का निर्धारित निर्गम मूल्य देर में जमा हो रहा है तथा कोटा भी देर से उठाया जा रहा है उनका निरीक्षण उपायुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।	
10. चीनी मिलों में नियुक्त आबकारी निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षक का कार्य तथा चीनी मिलेंः–	
(क) जो उपायुक्त के मुख्यालय जनपद में हैः–	आयुक्त आदेश सं0 4170/ए0टी0लैब0/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86/ दिनांक 19.3.86 के अनुसार किये जायेंगे।
(ख) जो उपायुक्त के मुख्यालय के बाहर के जिलों में हैं:–	
11. चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि पहाड़ी जिलों के लिए निम्न मानकम निर्धारित किये जाते हैं:–	
(क) अपराध निरोधक क्षेत्र	वर्ष में दो बार
(ख) जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय	वर्ष में दो बार
(ग) गोदाम तथा डिपो	वर्ष में दो बार
(घ) जिले के मुख्यालय की दुकानें	वर्ष में दो बार

(ड) बंधित निर्माणशालायें	वर्ष में दो बार
(च) अबंधित निर्माणशालायें तथा अन्य लाइसेंस	वर्ष में दो बार
(ब) सहायक आबकारी आयुक्त/आबकारी अधीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी	
1. (क) दौरे के दिन	10 दिन प्रतिमाह
(ख) रात्रि प्रवास	5 दिन प्रतिमाह
2. अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षकों का कार्य	
(क) जिनका मुख्यालय सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर स्थित है–	तीन मास में एक बार
(ख) जिनका मुख्यालय स0आ0आ0 के मुख्यालय के बाहर है–	4 मास में एक बार
3. आसवनी के निरीक्षण आयुक्त उ0प्र0 के आदेश संख्याः 4170/ए0टी0लैब/शीरा0अल्को0नियंत्रण/86, दिनांक 19.3.86 के अनुसार किये जायें।	
जिन आसवनियों में विभागीय सहायक आबकारी आयुक्त आबकारी अधीक्षक नियुक्त नहीं हैं–	6 मास में एक बार
4. बंधित गोदाम	
(क) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अन्दर है	3 मास में एक बार
(ख) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय से बाहर हैं	4 मास में एक बार
5. बंधित निर्माणशालायें:–	
(क) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अन्दर है–	4 मास में एक बार
(ख) जो सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय से बाहर हैं–	6 मास में एक बार
6. अबंधित निर्माणशालायें	
(क) जो मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अन्दर है–	निर्माणशाला का 50 प्रतिशत
(ख) जो मुख्यालय से बाहर हैं–	निर्माणशाला का 25 प्रतिशत
7. जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय–	तीन माह में एक बार
8. आबकारी दुकानें	
1. देशी/विदेशी मदिरा/ताड़ी तथा भांग की दुकानें	
(क) सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के आठ किलोमीटर के अन्दर–	तीन माह में एक बार
(ख) सहायक आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के बाहर 3 लाख से ऊपर है–	6 मास में एक बार
(ग) जो दुकानें 3 लाख से कम हैं–	वर्ष में एक बार
(घ) जिन दुकाकनों का निर्धारित निर्गम मूल्य देर से जमा हो रहा है तथा कोटा भी देर से उठाया जा रहा है, उनका निरीक्षण, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कम से कम माह में एक बार किया जायेगा।	
(ड.) अन्य लाइसेंस–	वर्ष में एक बार
9. चीनी मिलें तथा उनमें नियुक्त आबकारी निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षकों के कार्य–	
आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा	
10. अन्य लाइसेंस	
(क) जो मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अन्दर है–	6 मास में एक बार
(ख) जो मुख्यालय के 8 किलोमीटर के बाहर है–	वर्ष में एक बार
(ख) आबकारी निरीक्षक	
1. दौरे के दिन	

(क) जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम नहीं स्थित हैं–	20 दिन प्रतिमाह
(ख) जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम स्थित हैं–	12 दिन प्रतिमाह

2. रात्रि प्रवास–

नोट– सेक्टर के आबकारी निरीक्षक अपने–अपने सेक्टर पर प्रभावी नियंत्रण हेतु भ्रमण करते रहेंगे। उन पर निर्धारित दौरे के दिन और रात्रि प्रवास का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

3. आबकारी दुकानों का निरीक्षण

(क) आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में स्थित देशी शराब/अंग्रेजी शराब, ताड़ी तथा भांग की दुकानें–	मास में दो बार
(ख) अन्य लाइसेंस (एफ0एल0–6, एफ0एल0–7, एफ0एल0–9, एफ0एल0–17, एफ0एल0–16, पेट्रोल पम्प आदि)	
(ग) जिन दुकानों का निर्धारित निर्गम मूल्य समय से जमा नहीं हो रहा है और कोटा भी विलम्ब से उठाया जा रहा है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाये–	
(घ) संदिग्ध गांव/मुहल्ले–	

(ड) सहायक आबकारी आयुक्त (शीरा)

1. आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा।

2. आबकारी निरीक्षकों/उप आबकारी निरीक्षकों का कार्य	4 माह में एक बार
3. आबकारी अधीक्षक, शीरा कार्यालय–	4 माह में एक बार

(ड.) आबकारी अधीक्षक (शीरा)

आबकारी आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा।

2. आबकारी निरीक्षकों/उप आबकारी निरीक्षकों का कार्य–	तीन माह में एक बार

(घ) सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)

1. मुख्यावास जनपद में स्थितः–

(क) देशी/विदेशी मदिरा, भांग की दुकानें एवं अन्य दुकानें	उप आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0 के निर्देशानुसार
(ख) बंधित गोदाम	6 माह में एक बार
(ग) आसवनी	6 माह में एक बार
(घ) औद्योगिक इकाई	6 माह में एक बार
(ड.) बंधित एवं अबंधित निर्माणशालायें	6 माह में एक बार
(च) चीनी मिलें–आयुक्त के आदेश संख्या–4170/ए0टी0लैब/शीरा अल्को0 नियंत्रण/86 दिनांक 19.3.86 के अनुसार किया जायेगा।	
2. मुख्यावास जनपद के बाहर के जिलों की देशी मदिरा	उपायुक्त, ई0आई0बी0 के
(क) विदेशी मदिरा, ताड़ी, भ्साांग एवं अन्य दुकानें	निर्देशानुसार
(ख) बंधित गोदाम	6 मास में एक बार
(ग) आसवनी	वर्ष में दो बार
(घ) औद्योगिक इकाई	वर्ष में दो बार
(ड.) बंधित एवं अबंधित निर्माणशालायें	वर्ष में दो बार
(च) चीनी मिलें	वर्ष में दो बार

नोट– उपर्युक्त के अलावा विभिन्न अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय–समय पर अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञापनों/ईकाइयों की आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षणों में पकड़ी गयी गंभीर अनियमितताओं की सूचना अगले माह की 7 तारीख तक ई0आई0बी0 अनुभाग में निम्न प्रारूप में प्रेषित करेंगेः–

प्रारूप

1. कमांक

2. निरीक्षण की तिथि एवं समय
3. आसवनी/चीनी मिल/बंधित गोदाम निोधक क्षेत्र एवं दुकान का नाम (जनपद सहित)
4. पकड़ी गयी अनियमिततायें
(प्रत्येक अनियमितता का संक्षिप्त विवरण दिया जाये)----------
5. प्रशमित किया गया अथवा अभियोग पत्र न्यायालय में भेजा गयाः-
(क) प्रशमंन शुल्क एवं चालान संख्या (दिनांक सहित)----------
(ख) न्यायालय में अभियोग-पत्र भेजने का दिनांक----------
6. पकड़ी गयी गंभीर अनियमितता/विषैले, नशीले पदार्थों के अपमिश्रण में संक्षिप्त विवरण----------
7. स्तम्भ-6 पर उल्लिखित अनियमितता क्या प्रथम बार पकड़ी गयी है? यदि नहीं तो इस प्रकार पूर्व में पकड़ी गयी अनियमितता का विवरण----------
8. स्तम्भ '6' पर उल्लिखित अनियमितता के संदर्भ में सम्बन्धित निरीक्षक के लिए प्रस्तावित कार्यवाही----------
9. अन्य विवरण----------

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या **9453-65**/पांच-ई0आई0बी0 /दिनांकः जनवरी, 04, 2004

1. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरांचल।

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहबाद के पत्र संख्या 831-914/11-ई0आई0बी0 /निरीक्षण/मानक्रम दिनांक 13.06.95 के द्वारा दौरे, रात्रि प्रवास एवं निरीक्षण के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किये गये हैं, जो अभी भी (उत्तरांचल में भी) प्रभावी है, तथा निम्नवत है :-

आबकारी निरीक्षक

1. दौरे के दिन :-

(क)	जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम नही है	वर्ष में 180 दिन
(ख)	जिनके क्षेत्र में शराब/भांग के गोदाम स्थित हैं	माह मे 10 दिन

2. रात्रि प्रवास

नोट :- सेक्टर के आबकारी निरीक्षक अपने-अपने सेक्टर का प्रभावी नियंत्रण हेतु भ्रमण करते रहेंगे। उन पर निर्धारित दौरे के दिन/रात्रि प्रवास का कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा।

3. आबकारी दुकानों का निरीक्षण

(क)	आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में स्थित देशी/विदेशी शराब, ताडी तथा भांग की दुकानें	1. प्रधानावास के 8 किमी के अन्तर्गत स्थित माह में दो बार 2. प्रधानवास के 8 किमी के बाहर स्थित दुकानें माह में एक बार

नोट :- जिन दुकानों का निर्धारित राजस्व समय से जमा नही हो रहा है और कोटा भी विलम्ब से उठाया जा रहा है उन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(ख)	शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई	दो माह में एक
(ग)	संदिग्ध गांव/मौहल्ले	1 माह में एक बार
4. (अ)	बी0डब्लु0एफ0एल0-2, एफ0एल0-2	माह में 1 बार
(ब)	एफ0एल0-6, 6ए, 7, 7ए	माह में 1 बार
(स)	एफ0एल0-9, 9ए	माह में 1 बार
(द)	एफ0एल0-716, 17	माह में 1 बार

(य)	एफ0एल0–39,40 व 41	2 माह में एक बार
5.	अन्य विविध अनुज्ञापन	2 माह में एक बार

सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी

1–(क)	दौरे के दिन	100 दिन प्रति वर्ष
(ख)	रात्रि प्रवास	6 रात्रि प्रति माह
2–	अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षकों का कार्य	
(क)	जिनका मुख्यालय जनपद के मुख्यालय पर स्थित हैं	3 माह में एक बार
(ख)	जिनका मुख्यालय जनपद के मुख्यालय के बाहर है	6 माह में दो बार
3–	जिन आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त नही है	2 माह में एक बार
4–	बंधित गोदाम	
(क)	जनपद के मुख्यालय का गोदाम	2 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय से बाहर स्थित गोदाम	3 माह मे एक बार
5–	बंधित निर्माण शालाएं	
(क)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित	3 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय से बाहर अन्य क्षेत्र में स्थित	4 माह में एक बार
6–	अबंधित निर्माण शालाए	
(क)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित	3 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय से बाहर अन्य क्षेत्र में स्थित	4 माह में एक बार
7–(अ)	बी0डब्लु0एफ0एल0–2, एफ0एल0–2	3 माह में एक बार
(ब)	एफ0एल0–6, 6ए, 7, 7ए	3 माह में एक बार
(स)	एफ0एल0–9, 9ए	6 माह में एक बार
(द)	एफ0एल0–16	6 माह में एक बार
	एफ0एल0–17	वर्ष में एक बार
(य)	एफ0एल0–39,40 व 41	6 माह में एक बार
8–	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय	3 माह में एक बार
9–	आबकारी दुकानें	
	देशी शराब/विदेशी शराब/ताडी/भांग की दुकानें	
(क)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र की दुकानें	2 माह में एक बार
(ख)	जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित दुकानें	4 माह में एक बार
(ग)	जिन दुकानों/ग्रुपों की लाईसेंस फीस/राजस्व की अदायगी समय से नही हो रही है अथवा कोटा देर से उठ रहा है अथवा उनके बारे में शिकायत है	माह में एक बार
(घ)	शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई	वर्ष में 4 बार
10–	चीनी मिलें तथा उसमें नियुक्त निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षक का कार्य	वर्ष में 6 बार पेराई सत्र में एक माह में एक बार
11–	विविघ अनुज्ञापन	वर्ष में एक बार

सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन

(क)	मुख्यालय जनपद में स्थित देशी/विदेशी संयुक्त ई0आई0बी0 के मदिरा/भांग एवं अन्य दुकानें	निर्देशानुसार

(ख)	बंधित गोदाम	6 माह में दो बार
(ग)	आसवनी	6 माह में दो बार
(घ)	औद्योगिक इकाई	6 माह में दो बार
(ड)	बंधित निर्माण शालाएं	6 माह में दो बार
(च)	अबंधित निर्माण शालाएं	6 माह में दो बार
(छ)	चीनी मिलें	वर्ष में दो बार तथा पेराई सत्र में कम से कम एक बार

मानकों के अनुसार आबकारी निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा कृत कार्य का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निम्न प्रारूप में आयुक्तालय को उपलब्ध कराने का प्राविधान है जो कि मुख्यालय को उपलब्ध नही कराये जा रहे हैं।

माह दिसम्बर 2003 से सम्बन्धित विवरण पत्र प्रत्येक दशा में 21.01.2004 तक अवश्य उपलब्ध करा दें।

प्रारूप

श्री ..... पद .....

द्वारा किये गये दौरे, रात्रि प्रवास एवं निरीक्षण का विवरण :–

कार्य का प्रकार	मानक के अनुसार निर्धारित संख्या		वास्तविक संख्या		कमी तथा उसका कारण
	माह	चलित योग	माह	चलित योग	
1. दौरे का दिन 2. रात्रि प्रवास 3. निरीक्षण कार्य :– क्षेत्र/कार्यालय/गोदाम/दुकान आदि व कुल संख्या 1. अपराध निरोधक क्षेत्र 2. आसवनी 3. बंधित गोदाम 4. बंधित निर्माण शालाएं 5. अबंधित निर्माण शालाएं 6. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी 7. विदेशी मदिरा की थोक बिक्री की दुकानें 8. देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की					

दुकानें 9. विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें 10. भांग की दुकानें 11. अन्य विविध दुकानें 12. औद्योगिक इकाईयां 13. संवेदनशील ग्राम/मौहल्ला 14. बी0डब्लूएफ0एल0–'2, एफ0एल0–2 15. एफ0एल0–6, 7, 6ए, 7ए 16. एफ0एल0– 9/9ए 17. एफ0एल0– 16, 17 18. एल0एल0– 39, 40 व 41 19. चीनी मिल 20. विविध अनुज्ञापन 21. अन्य					

तिथि :

हस्ताक्षर
नाम अधिकारी
पद.....

विशेष :– जो सम्बन्धित न हो कृपया काट दें।

कृपया निर्धारित मानक के अनुसार कृत दौरे, रात्रिप्रवास एवं निरीक्षणों के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों को भी अवगत कराते हुए मासिक विवरण पत्र उपरोक्त प्रारूप में आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त कर समीक्षा के उपरान्त उसकी एक प्रति आयुक्तालय को अग्रसारित करेंगे। इसी प्रकार आप भी अपने विवरण पत्र की एक प्रति आयुक्तालय को प्रेषित करेगें। जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने तथा अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों के मासिक विवरण पत्र प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(धीरेन्द्र शर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या **9453–65**/पांच–ई0आई0बी0 /तददिनांक
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, देहरादून/नैनीताल।
3. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।

(धीरेन्द्र शर्मा)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 **199–256** / पांच–ई0आई0बी0–79 / मान0–निरी0 / 2007–08 / दे0दून,दि0:जनवरी, **03**,2008

1. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त /
   जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त,
   प्रवर्तन दल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।

विषय : विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक्रम के अनुसार निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

आबकारी विभाग राज्य सरकार के लिये राजस्व संसाधन जुटाने वाला बड़ा विभाग है। राजस्व अर्जन के साथ–साथ यह प्रदेश के आद्यौगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। राजस्व की वसूली, अपराध शमन / प्रवर्तन कार्यवाहियों / चैकपास्टों के द्वारा करापवंचन की रोकथाम, चीनी मिलों में उत्पादित शीरें के नियन्त्रण, आसवनियों में एल्कोहल के उत्पादन एवं वितरण का पर्यवेक्षण तथा फामेंसियों की कार्य पद्धति की सूक्ष्म देखरेख के द्वारा राजस्व में वृद्धि एवं सुरक्षा तथा प्रदेश का औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

अतः विभागीय कार्य प्रणाली को चुस्त–दुरूस्त एवं प्रभावपूर्ण करने के उदेश्य से विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले दौरे / निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय के आदेश संख्या 9453–65 / पांच–ई0आई0बी0 / देहरादून,दिनांक 08.01.2004 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा फील्ड अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले दौरे, रात्रिप्रवास, निरीक्षण आदि के मानक्रम निर्धारण करते हुए, कृत कार्य का विवरण प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आयुक्तालय में उपलब्ध कराने के आदेश प्रसारित किये गये थे। लेकिन इन आदेशों का पूर्णतः अनुपालन आपके द्वारा नही किया जा रहा है। निर्धारित प्रारूप में उक्त विषयक कार्य विवरण पत्र अथवा निरीक्षण टीपों की प्रतियां आयुक्तालय में नियमित रूप से प्रेषित नही हो रही है।

यह स्थिति संतोषजनक नही है वरन् आपके राजकीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि:–

1. एतद्विषयक संलग्न आदेश दिनांक 08.01.2004 को दिये गये ओदशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. अतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित चैक पोस्टों पर चैकिग–कार्य पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी, प्रभारी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक एवं सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन दल) द्वारा क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपने दौरों के समय आवश्यक रूप से चैक
   पोस्टों का निरीक्षण किऐ जाएं तथा निरीक्षण टीम अभिलिखित की जाऐं तथा मासिक कार्य विवरण प्रारूप में भी प्रेषित किया जावे।

3. सहायक आबकारी आयुक्तों (प्रवर्तन दल) एवं जिला आबकारी अधिकारियों, का यह दायित्व होगा कि दौरे/निरीक्षण विषयक–पत्र विलम्बतम् प्रत्येक माह की 10 वी तिथि तक उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय को उपलब्ध करा दिये जाऐं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सं0 **257–277** / पांच–ई0आई0बी0–79 / मान0–निरी0 / 2007–08 / दे0दून,दि0:तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय।
4. वित्त अधिकारी, मुख्यालय को इस आशय से कि यात्रा व्यय मद में यथा आवश्यकतानुसार अनुदान आबंटन की व्यवस्था कराये।
5. आबकारी, सचिव के निजी सचिव, को।

(हर्षवर्धन चतुर्वेदी)
उप आबकारी आयुक्त
ई0आई0बी0,
मुख्यालय,देहरादून।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 /पांच–ई0आई0बी0–01/चैक पोस्ट/देहरादून/वर्ष–2007–08/दि0:29,फर0 08

1.समस्त जिला आबकारी आधिकारी,
उत्तराखण्ड।
2.सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, देहरादून/नैनीताल।

विषय :– संयुक्त जांच चौकी के प्रभारी अधिकारियो के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने आदेश संख्या 72/XXVII(8)/ वाणि0कर/2008 दिनांक 23.01.2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संयुक्त जांच चौकियो के प्रभारी अधिकारियों के कार्य एवं दायित्यो के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जो निम्नवत् है :–

1. **असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, संयुक्त जांच चौकी का प्रभारी अधिकारी होगा।** वह पांचों विभागों के कर्मचारियों की जनशक्ति की उपस्थिति का ब्यौरा रखेगा एवं पांचो विभागों की उपस्थिति पंजिका प्रभारी अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगी।
2. उपार्जित/आकस्मिक अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी सम्बन्धित विभाग का ही होगा परन्तु इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी को भी सूचित किया जायेगा। साथ ही **अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अवकाश पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी की वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगे।**
3. एक विभाग के कर्मचारी की तैनाती किसी भी अवस्था में दूसरे विभाग में नही की जायेगी परन्तु यदि किसी कारणवश किसी विभाग का कोई भी कर्मचारी जांच चौकी की ड्यूटी पर नहीं आता है तो सम्बन्धित विभाग के नियंत्रक अधिकारियों को सूचना देगे तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी तुरन्त विकल्प प्रस्तुत करेगे। **असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर, जांच चौकी सभी विभागों का पर्यवेक्षक अधिकारी रहेगा।**
4. **जांच चौकी के सामान्य रख रखाव–सफाई, पानी, बिजली आदि व्यवस्था का दयित्व प्रभारी अधिकारी का होगा।**
5. जांच चौकी प्रभारी की अनुपस्थिति में व्यवस्था/रख रखाव का दायिव्त वाणिज्य कर विभाग के तैनात जांच चौकी इन्चार्ज का होगा।
6. **समस्त विभाग अपने–अपने विभाग की जांच चौकी केन्द्रों का विस्तृत निरीक्षण करेगे तथा रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी को भेजेगे।**
7. **अभिलेखों के रख–रखाव/समुचित व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा।** जो अभिलेख पांचो विभागों से सम्बन्धित होगें वे एक ही स्थान पर रखे जोयेगें और उसका दायित्व प्रभारी अधिकारी का होगा।
8. यदि प्रभारी अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि किसी भी विभाग को कोई भी कर्मचारी अनुशासनहीनता अथवा अपने दायित्व निर्वहन में उदासीनता या अक्षमता दिखाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारियों को उस कर्मचारी को हटाने की संस्तुति कर सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उक्त कार्मिक जांच चौकी पर ही कार्यरत् रहेगा।

9. **संयुक्त जांच चौकी पर तैनात पांचों–विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन, भत्ता आदि सम्बन्धित विभागों द्वारा ही आहरित वितरित किया जायेगा।** जांच चौकी प्रबन्धन में होने वाले व्यय का नियंत्रण जांच चौकी प्रभारी अधिकारी के अधीन रहेगा। पांचो विभाग के तैनात तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक अन्तिम प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार सम्बन्धित विभाग का होगा तथा प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी सम्बन्धित विभाग के होगे किन्तु समीक्षक अधिकारी द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर, प्रभारी की संस्तुति को भी वार्षिक मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

कृपया उक्तानुसार आदेशो का अनुपालन स्वयं करना एवं चैक पोस्टों पर नियुक्त अधीनस्थ आबकारी निरीक्षक एवं उप आबकारी निरीक्षक व स्टाफ से कराना सुनिश्चित किया जाये।

(डा0 रणवीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या /पांच–ई0आई0बी0–01/चैक पोस्ट/देहरादून/वर्ष–2007–08/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून।
5. समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
7. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।

(डा0 रणवीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

फैक्स

समयबद्ध / अतिआवश्यक

कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तराखण्ड,देहरादून

सं0 **80–92** / पांच–ई0आई0बी0–202 / गो0नो0पंजि0–मान0 / दे0दून / दि0:अप्रैल, **24** 09

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त /
जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय :– वर्ष 2008–09 में जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जनपदीय अपराध क्षेत्रों के सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) अनुरक्षित की जायेगी जो 05 खण्डो में आबकारी मैनुअल Vol-01 (1974) Para 113(4) में प्रासंगिक प्रविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार होगी :–

भाग – 1, सामान्य

क– क्षेत्र तथा जनसंख्या के बारे में सामान्य आकड़े

ख– प्राकृतिक संरचना

ग– संचार के साधन

ध– मादक द्रव्यों का उपभोग करने वाले मुख्य वर्गो की आर्थिक स्थिति और आय के उनके प्रमुख स्रोत

ड– दौरा तथा रात्रि विश्राम

च– मादक द्रव्यों के मूल्य – निर्गम तथा फुटकर

भाग –2, प्रशासनिक

क– आबकारी तथा पुलिस – पता लगाने में सहयोग तथा अभियोजन कार्य

ख– स्थानीय स्थितियॉ

ग– उप आबकारी निरीक्षक उनकी ईमानदारी, बुद्धि, श्रम, आश्रिता इत्यादि के सम्बन्ध मे

घ– प्रधान आबकारी सिपाही / आबकारी सिपाही उनकी ईमानदारी, आज्ञा पालन, श्रम, खोजी कार्य के लिए क्षमता इत्यादि के सम्बन्ध मे

भाग –3, मद्य निषेध

क– मद्य निषेध आन्दोलन – सोसाइटी या समितियॉ

ख– जाति पंचायत

ग– स्थानीय मेले

भाग– 4, अपराध

क– आबकारी अपराध–पृथक् रूप से प्रत्येक शीर्षक के अधीन अपराधो के प्रचलन, वितरण, निवारण तथा नियन्त्रण के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी

ख– निगरानी की आवश्यकता करने वाले आधिक्य दुकान

ग– आभ्यासिक आबकारी अपराधी

घ– सन्देहास्पद व्यक्ति–नाम तथा सन्देह के लिए कारण

ड– सूचनादाता

च– सीमावर्ती अपराध

भाग– 5, राजस्व

क– अनुज्ञापन के विभिन्न प्रणालियों के कार्य

ख– आबकारी ठेकों के सम्बन्ध में एकाधिकार

ग– अवांछनीय अनुज्ञप्तिधारी

घ– सरकारी बकायों की अदायगी को विलम्बित करने वाले आबकारी विक्रेता

क0 स0	जनपद	पूर्व में निर्धारित अपराध निरोधक क्षेत्र	नवसृजित अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र का मुख्यालय
1	**नैनीताल**	क्षेत्र–1, नैनीताल		नैनीताल
2		क्षेत्र–2, हल्द्वानी		हल्द्वानी
3			**क्षेत्र–3, रामनगर**	**रामनगर**
4	**उधमसिंहनगर**	क्षेत्र–1,रूद्रपुर		रूद्रपुर
5		क्षेत्र–2, खटीमा		खटीमा
6		**क्षेत्र–3, काशीपुर**	**क्षेत्र–3, काशीपुर**	**काशीपुर**
7		**क्षेत्र–4, बाजुपर**	**क्षेत्र–4, बाजुपर**	**बाजुपर**
8	**अल्मोडा**	क्षेत्र–1, अल्मोडा		अल्मोडा
9		क्षेत्र–2, रानीखेत		रानीखेत
10		**क्षेत्र–3, भिक्यासैण**	**क्षेत्र–3, भिक्यासैण**	**भिक्यासैण**
11	**बागेश्वर**	**क्षेत्र–1, बागेश्वर**	**क्षेत्र–1, बागेश्वर**	**बागेश्वर**
12	**चम्पावत**	क्षेत्र–1, चम्पावत		चम्पावत
13		**क्षेत्र–2, टनकपुर**	**क्षेत्र–2, टनकपुर**	**टनकपुर**
14	**पिथौरागढ**	क्षेत्र–1, पिथौरागढ		पिथौरागढ
15		क्षेत्र–2, डी0डी0हाट		डी0डी0हाट
16		क्षेत्र–3, धारचूला		धारचूला
17		**क्षेत्र–4, मुनस्यारी**	**क्षेत्र–4, मुनस्यारी**	**मुनस्यारी**

ड– आबकारी दुकान आपअवगत है पूर्व आदेश पत्रांक 360/अ

धि0– एक/क्षेत्रों का पुनर्गठन/2005–06 /दिनांक 01.12.2005 द्वारा आबकारी विभाग में स्वीकृत आबकारी क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन करते हुए जनपदवार निम्नुसार क्षेत्रों का निम्नवत् पुनर्गठन एवं उनके प्रधानावास का निर्धारण किया गया :–

आवश्यक निर्देश :–

1. प्रत्येक वर्ष गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) पर अपना सुस्पष्ट मत अंकित करते हुए अनुमोदन हेतु वर्ष समाप्ति के पश्चात् 15 अप्रैल तक उपायुक्त, मुख्यालय को भेजेगे।

2. जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र का मानचित्र रखेगा, जिनमें उन स्थानों को अंकित किया जाएगा जिनसे आबकारी अपराध का पता अद्यतन लग सके।

18	**हरिद्वार**	क्षेत्र–1, हरिद्वार		हरिद्वार
19		क्षेत्र–2, रूडकी		रूडकी
20		**क्षेत्र–3, लक्सर**	**क्षेत्र–3, लक्सर**	**लक्सर**
21	**देहरादून**	**क्षेत्र–1 देहरादून**		
22		**(क)सेक्टर–1 देहरादून**		**देहरादून**
23		**(ख)सेक्टर–2 देहरादून**	**देहरादून**	**देहरादून**
24		सेक्टर–2 मसूरी		देहरादून/मसूरी
25		क्षेत्र–2, मसूरी		
26		क्षेत्र–3, ऋषिकेश		ऋषिकेश
27		**क्षेत्र–4, चकराता**	चकराता	**चकराता/कालसी**
28	**टिहरी**	क्षेत्र–1, टिहरी		टिहरी
29		क्षेत्र–2, नरेन्द्रनगर		नरेन्द्रनगर
30		**क्षेत्र–3, कीर्तिनगर**	**क्षेत्र–3, कीर्तिनगर**	**कीर्तिनगर**
31	**पौडी**	क्षेत्र–1, पौडी		पौडी
32		क्षेत्र–2, कोटद्वार		कोटद्वार
33		**क्षेत्र–3, थैलीसेण**	**क्षेत्र–3, थैलीसेण**	**थैलीसेण**
34		**क्षेत्र–4, यमकेश्वर**	**क्षेत्र–4, यमकेश्वर**	**यमकेश्वर*** *जिलाधिकारी पौडी के अनुरोध पर क्षेत्र का मुख्यालय लैंसडाऊन की अनुमति आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 06.01.2006 द्वारा प्रदान की गई है।
35	**रूद्रप्रयाग**	क्षेत्र–1, रूद्रप्रयाग		रूद्रप्रयाग
36	**उत्तरकाशी**	क्षेत्र–1, उत्तरकाशी		उत्तरकाशी
37		क्षेत्र–2, पुरोला		पुरोला
38		**क्षेत्र–3, बड़कोट**	**क्षेत्र–3, बड़कोट**	**बड़कोट**
39		**क्षेत्र–4, डुण्डा**	**क्षेत्र–4, डुण्डा**	**डुण्डा**
40	**चमोली**	क्षेत्र–1, चमोली		चमोली
41		**क्षेत्र–2 कर्णप्रयाग**	**क्षेत्र–2 कर्णप्रयाग**	**कर्णप्रयाग**
42		**क्षेत्र–3 जोशीमठ**	**क्षेत्र–3 जोशीमठ**	**जोशीमठ**
इसके अतिरिक्त प्रवर्तन दल ईकाईयों में अपराध निरोधक क्षेत्रों की स्थिति निम्नवत् है :–				
43	**प्रवर्तन दल देहरादून**	प्रवर्तन दल देहरादून		देहरादून
44	**प्रवर्तन दल नैनीताल**	प्रवर्तन दल नैनीताल		नैनीताल

3. प्रत्येक प्रवर्तन ईकाईयो द्वारा जो जनपदो में उनके द्वारा वर्ष 2008–09 में कोई उल्लेखनीय कार्यवाही की गई हो उसपर सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे तथा जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रों पर अपना सुस्पष्ट मत अंकित करते हुए आदि की सूचना तैयार कर आयुक्तालय को प्रस्तुत करेगे।

4. जनपदीय सहायक आबकारी आयुक्त, कार्यालय में सम्बन्धित समस्त अपराध निरोधक क्षेत्रों की गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रो की एक–एक प्रति अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेगे।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2008–09 में जनपदीय अपराध निरोधक क्षेत्रों के गोपनीय नोट पंजिका (Confidential Note Book) तथा मानचित्रों पर अपना सुस्पष्ट मत अंकित करते हुए 15 दिन में विलम्बतम् दिनांक 08.05.2009 तक अवगत करना सुनिश्चित करें।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सं0 /पांच–ई0आई0बी0–202/गो0नो0पंजि0–मान0/दे0दून/दि0:तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून।
5. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, देहरादून/नैनीताल।
6. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

पंजीकृत–डाक / फैक्स

कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तराखण्ड,देहरादून

सं0 **896–908** / पांच–ई0आई0बी0–166 / जाचं पत्रां0 / वर्ष 2009–10 / दि0:दिसम्बर **24,** 2009

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय :– प्रभारी अधिकारियों / आबकारी निरीक्षकों / आबकारी स्टाफ के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध मे।

प्रभारी अधिकारियों / आबकारी निरीक्षकों / आबकारी स्टाफ के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है, जो निम्नवत् है :–

1) आबकारी अपराधों की दृष्टि से पडने वाले संवेदनशील स्थलों / राज्य बार्डरों पर चैकिग के दौरान आबकारी निरीक्षक / प्रधान आबकारी सिपाही / आबकारी सिपाही एवं अन्य आबकारी स्टाफ को दबिश के दौरान आबकारी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार एक या दो व्यक्ति सादे कपडों में रखे जा सकते है अन्यथा निर्धारित वर्दी का ही प्रयोग किया जाये।
2) राजकीय वाहन को प्रत्येक जनपद में एक या एक से अधिक आवंटित किये गये है को जहां तक सम्भव हो दबिश / चैकिग के दौरान में लाये जायेगे।
3) मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर महत्वपूर्ण अति–संवेदनशील स्थलों / राज्यों बर्डरों पर महत्वपूर्ण दबिश / वाहन चैकिग की स्थिति में सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी अपने नेतृत्व में दबिश पार्टी को संचालित करेगे।
4) संवेदनशील दबिश के दौरान सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करते हुए आवश्यकतानुसार यथोचित पी0ए0सी0 / पुलिस बल प्राप्त कर समन्वय स्थापित करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5) गस्त / चैकिग पर प्रस्थान करने से पूर्व जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक एस0एम0एस0 (SMS) द्वारा अपने जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगे, तथा उसका उल्लेख निर्धारित दैनिक डायरी (D–8) में भी करेंगे।

   जिस दबिश में कोई महत्वपूर्ण अभियोग पकडा जाता है अथवा कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है उस केस का विवरण जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 एवं आबकारी सहायक, ई0आई0बी0, मुख्यालय को एस0एम0एस0 (SMS) द्वारा सूचित करेगे, तथा आबकारी सहायक ई0आई0बी0 द्वारा पंजिका में एस0एम0एस0 (SMS) का रिकार्ड रखा जायेगा। उपरोक्त एस0एम0एस0 (SMS) भेजने के अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी जाएगी जिसे आबकारी सहायक ई0आई0बी0 द्वारा अनुरक्षित रखा जाएगा।
6) स्थान तलाशी जिसमें किसी भवन तथा अहाता अथवा घेरा (Enclosure) सम्मिलित है के दौरान आबकारी निरीक्षक को स्वयं मौके पर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा फर्द तलाशी एवं अन्य कागजात नक्शा माल डी–19सी (D-19-C) प्रवर्तन कार्य के दौरान मौके पर ही भरी जाए।
7) जनपद में वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक से नियमित सम्पर्क बनाए रखा जाए।
8) जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक अपनी निर्धारित साप्ताहिक डायरी माह की दिनांक 1, 8, 16, 23 को (to be submitted on 1st , 8th, 16th & 23th of the month) तथा सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी, अपनी दैनिक डायरी का मासिक संकलित विवरण माह

की दिनांक 04 को (to be submitted on 04th of the month) उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय को उपलब्ध कराएगें।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सं0 **909—988** / पांच—ई0आई0बी0—166 / जाचं पत्रां0 / वर्ष 200

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रा५त।

1. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस, महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, गढ़वाल मण्डल एवं सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन दल, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. सहायक आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिग, मुख्यालय।
10. सहायक आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय।
11. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
12. आबकारी सहायक, ई0आई0बी0, मुख्यालय।
13. गार्ड फाईल।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

ई0आई0बी0 अनुभाग द्वारा जनपदों से प्राप्त होने वाले विवरण पत्रों की समयबद्ध सारिणी

क्र0 सं0	विवरण पत्रों का नाम	जनपद स्तर पर तैयार होने की तिथि	मुख्यालय स्तर पर अनिवार्यतः प्राप्त होने की तिथि
1	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–1) from one (जनता के विरूद्ध अभियोगों से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
2	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–2) from Two (अपहृत मादक पदार्थों की मात्रा से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
3	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–3) from Three (देशी शराब के उपभोग/एम0जी0क्यू0 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
4	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–4क) from four-A (एफ0एल0–1/1बी, बी0डब्ल्यू0 एफ0एल0–2/2बी, एफ0एल0–2 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
5	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–4ख) from four-B (एफ0एल0–5डी, एफ0एल0–6/7 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
6.	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–4ग) from four-C (एफ0एल0–2ए, एफ0एल0–9/92 से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
7.	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–5क) from Five-A (जनपद के आबकारी निरीक्षकों द्वारा पकड़े गये उल्लंघन/निस्तारण/प्रशमन से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
8	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–5ख) from Five-B (जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पकड़े गये उल्लंघन/निस्तारण/प्रशमन से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक
9	डी–25 मासिक प्रतिवेदन (एम0डी0ओ0 प्रपत्र–छः) from -C (आबकारी निरीक्षक द्वारा पकड़े गये/न्यायालय भेजे गये अभियोगों के निस्तारण/सजा से संबंधित)	1 से 3 तारीख तक	प्रत्येक माह की 4 तारीख तक

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून

संख्याः1779–91 / आठ–लेखा / प्रारूप–2 / 2001–2002 / दिनांकः मई 17, 2002

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरांचल

विषयः राजस्व प्राप्ति सम्बन्धी सूचनायें निर्धारित प्रारूप में समयान्तर्गत प्रेषित करने के संबंध में।

आपको निर्धारित प्रारूप में उनके सम्मुख निर्धारित तिथि में मांग / वसूली एवं राजस्व के मासिक विवरण पत्र प्रेषित करने के लिए समय–समय पर निर्देश दिये जा चुके हैंः–

1. सांख्यिकी प्रारूप 1 व 2	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक
2. मांग वसूली / बकाया का प्रपत्र–3	तदैव
3. मदिरा के उठान का प्रपत्र–5	तदैव
4. एफ0एल0–2 द्वारा दी गयी निकासी की सूचना प्रपत्र–6	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक
5. राजस्व प्राप्ति का प्रपत्र–7	प्रत्येक माह की 21 तारीख तक अगले माह की 1 तारीख

प्रत्येक प्रारूप में यथा आवश्यक संशोधन उपरान्त प्रारूप की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनायें निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रायः यह पाया गया है कि अधिकांश जनपदों से सूचनायें समयान्तर्गत प्रेषित नहीं की जा रही हैं जिस कारण सूचनायें दूरभाष पर प्राप्त की जाती हैं। यह प्रवृत्ति कदाचित असंतोषजनक है। अतः आप सुनिश्चित कर लें कि यदि निर्धारित अवधि में आपके द्वारा सूचनायें प्रेषित नहीं की जाती हैं तो इस विलम्ब के लिए आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः 1792–1804 / आठ–लेखा / प्रारूप–2 / 2001–2002 / तद्दिनांक
प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

क्रम संख्या–63

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/जी0जी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 25 अप्रैल, 2018 ई0

वैशाख 05, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 211/XXXVI(3)/2018/28(1)/2018

देहरादून, 25 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018' पर दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 23 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23, सन, 2018)

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (सं०प्रा० अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए.

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम,1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में –

(एक) खण्ड (12) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:–

"(12) मादक भेषज–मादक भेषज का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत घोषित स्वापक औषधि व पदार्थों से भिन्न भांग के पत्तों या उससे तैयार पेय या अन्य कोई मादक पिनक पदार्थ जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(दो) खण्ड (16) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:–

"विक्रय"– व्याकरण सम्बंधी परिवर्तनों सहित विक्रय में अनुज्ञप्ति के अधीन होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं अधिसूचित स्थलों में शराब परोसने और उसके प्रदाय तथा दान स्वरूप अन्तरण से भिन्न कोई अन्तरण सम्मिलित है ;

(तीन) खण्ड (22) के पश्चात नये खण्ड क्रमशः (23),(24),(25),(26),(27) और (28) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात–

(23) "होटल"– होटल का तात्पर्य ऐसे व्यवसायिक स्थापन या उसके भाग से है जो भुगतान के बदले यात्रियों एवं पर्यटकों को ठहरने, खाने एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराता है ;

(24) "क्लब"– क्लब का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 या उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम,2003 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हो और जो अपने सदस्यों को उनके अंशदान के फलस्वरूप सुविधायें या लाभ उपलब्ध कराता है ;

(25) "रेस्टोरन्ट"– रेस्टोरेन्ट का तात्पर्य ऐसे व्यवसायिक स्थापन से है, जहां भोजन तैयार किया जाता है और ग्राहकों को भुगतान के बदले परोसा और उपलब्ध कराया जाता है ;

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

स्पष्टीकरण– उत्तर प्रदेश रेस्टोरेन्ट मदिरा उपभोग नियमावली–1952 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) में दी गई रेस्टोरेन्ट की परिभाषा उक्त परिभाषा होने के बावजूद सम्बन्धित प्रयोजन हेतु यथावत् लागू रहेगी।

(26) "अधिसूचित स्थान" अधिसूचित-स्थान से कोई भवन या किसी भवन का भाग और उसके संबद्ध परिसर तथा कोई भी विनिर्दिष्टतः सीमांकित भूमि अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे अधिसूचित स्थान के भीतर उपयोग हेतु किसी अनुज्ञप्ति के नियंधनों के अनुसार शराब का प्रदाय अनुज्ञात है ;

(27) "शराब परोसना और उसका प्रदाय" से अनुज्ञप्ति, जो इस शर्त पर जारी की जाती है कि ऐसी शराब का उपभोग ऐसे होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट एवं अन्य अधिसूचित स्थान के परिसर के भीतर किया जाएगा, के आधार पर क्लबों, रेस्टोरेन्ट, होटलों और किसी अन्य अधिसूचित स्थान पर प्रतिफलार्थ शराब उपलब्ध करवाना अभिप्रेत है ;

(28) "शराब की दुकान" शराब की दुकान से तात्पर्य शराब की ऐसी फुटकर दुकान से है, जिसको सील बन्द बोतल आदि में फुटकर शराब विक्रय की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो ;

धारा 17 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1)को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(1) सिवाय कलैक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये लाईसेन्स के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तो के अधीन रहते हुए–

(क) कोई भी (मादक वस्तु) निर्मित न की जायेगी;

(ख) भांग के पौधे (कैनेविस सैटाइवा) के किसी भी ऐसे भाग का जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, संग्रह न किया जायेगा,

(ग) विक्रय के लिये किसी भी शराब की बोतलों में बन्द न किया जायेगा, और

(घ) कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी (मादक वस्तु) के निर्माण के लिये किसी प्रकार के सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण का न तो प्रयोग करेगा, न अपने पास या न कब्जे में रखेगा।"

24–क का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 24–क में–

(एक) उपधारा (1) तथा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का–

(क) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनो ही के लिये, या

(ख) फुटकर बिक्री के लिये, या

(ग) थोक बिक्री के लिये, या

(घ) दुकानों पर फुटकर बिक्री के लिए, एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाईसेंस या लाईसेंसो को स्वीकृत कर सकता है।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) अधीन कोई लाईसेंस या लाईसेंसों के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों, रेस्टोरेन्टों, क्लबों एवं अधिसूचित स्थलों में उनके ही भू–गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब परोसने एवं प्रदाय के लिये लाईसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

Scanned with CamScanner

(दो) उपधारा (4) के पश्चात क्रमशः नई उपधाराएं (5) और (6) अंतःस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात–

"(5) शराब परोसने और उसके प्रदाय सम्बन्धी एकांतिक विशेषाधिकारः होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं अधिसूचित स्थलों के परिसरों में उपयोग हेतु शराब परोसने और उसके प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले प्रत्येक होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट या अधिसूचित स्थल के परिसरों के भीतर उसके सदस्यों, अतिथियों या अन्य व्यक्तियों को, यह विचार किये बिना कि ऐसा होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट या अधिसूचित स्थल किसी राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग पर या उसके निकट अवस्थित है, में उपयोग हेतु ऐसी शराब परोसने और उसका प्रदाय करने का हकदार होगा ; परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत स्थान पर शराब को परोसने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा स्थान इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित स्थान समझा जायेगा।

(6) किसी बात के होते हुए भी, किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट या अन्य अधिसूचित स्थान को शराब के विक्रय हेतु जारी की गई अनुज्ञप्ति, शराब परोसने एवं उसका प्रदाय करने के लिए जारी की गई और सदैव जारी की गई समझी जायेगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्ध ऐसे लागू रहेंगे जैसे कि वे शराब के विक्रय हेतु लागू थे।

स्पष्टीकरणः–शंका के निराकरण हेतु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शराब के विक्रय के लिए यथा लागू समस्त कर, शुल्क, उपकर या अन्य उदग्रहण शराब को परोसने या उसका प्रदाय करने हेतु तब तक लागू होंगे जब तक किसी अन्य अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम या अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।"

धारा 36 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 36 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"फुटकर बिक्री या शराब परोसने और उसके प्रदाय सम्बधी लाईसेंस का समर्पण–

इस अधिनियम के अधीन फुटकर बिक्री या शराब परोसने और उसके प्रदाय सम्बन्धित किसी लाईसेंस का धारक लाईसेंस समर्पित करने के अपने अभिप्राय की अपने द्वारा कलेक्टर को दिये गये एक माह की लिखित नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने पर और उस सम्पूर्ण अवधि के लिये जिसमें लाईसेंस जारी रहता, यदि ऐसा समर्पण न कर दिया गया होता, लाईसेंस के निमित्त देय फीस भुगतान करने पर अपना लाईसेंस समर्पित कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आबकारी आयुक्त को यह समाधान हो जाय कि ऐसा लाईसेंस समर्पित करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो वह समर्पण कर दिये जाने पर इस प्रकार देय धनराशि या उसका कोई अंश उसके धारक को प्रेषित कर सकता है।

स्पष्टीकरण– इस धारा में प्रयुक्त शब्द "लाईसेन्स का धारक" में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका लाईसेन्स के निमित्त टेन्डर या बोली स्वीकार हो चुकी हो, यद्यपि उसे वास्तव में लाईसेन्स प्राप्त न हुआ है।

धारा 41 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 41 के खण्ड (क),(ख) और (ग) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात–

"(क) किसी (मादक वस्तु) के निर्माण, सम्भरण, भन्डारकरण, परोसने या विक्रय को, जिसमे निम्नलिखित सम्मिलित है, विनियमित करना–

(i) ऐसे पदार्थ के निर्माण, सम्भरण, भन्डारकरण या विक्रय के लिये किसी स्थान का

Scanned with CamScanner

परिनिर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, उसका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध करना और उस पर नियन्त्रण रखना तथा उसमें अनुरक्षित किये जाने वाले उपस्कर, औजार और उपकरण,

(2) भांग के पौधे (कैनेविस सैटाइवा) के उन भागों का संग्रहण करना जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो और उनसे किसी मादक भेषज का निर्माण करना,

(ख) किसी (मादक वस्तु) को भान्डागार में जमा किये जाने को और किसी ऐसे भान्डागार से या किसी आसवनी या यवासवनी से किसी (मादक वस्तु) के हटाये जाने को विनियमित करना।

(ग) किसी मादक वस्तु के किसी लाइसेन्स, परमिट या पास के लिये, जिसमें धारा 24 या धारा 24 क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए दिया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है, या उसके भन्डारकरण के लिये देय फीस का माप–यान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना,

प्रतिबन्ध यह है कि इस खन्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को समय–समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाग के रूप में कोई फीस, जिनके अन्तर्गत विक्रय (वेन्ड) फीस भी है, लगाने से रोकती है।

स्पष्टीकरण– (1) विभिन्न वर्गों के लाईसेन्स, परमिट, पास या भन्डारकरण के लिये, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस उपखण्ड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है।

(2)ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात–

(1) नीलाम,

(2) टेन्डर आमन्त्रित करना,

(3) लाईसेन्स, परमिट या पास के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवस्था।

धारा 60 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1)को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का या इसके अधीन प्राप्त किसी लाईसेन्स, परमिट या पास का उल्लंघन करके–

(क) किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

(ख) भांग (कैनविस सेटाइवा) के किसी ऐसे भांग का संग्रह या विक्रय करता है जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या

(ग) कोई आसवनी, यवासनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

(घ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

(ड.) इस अधिनियम के अधीन लाईसेन्स प्राप्त, स्थापित या चालू, किसी आसवनी, यवासनी, द्राक्षासवनी या भण्डारगार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या

(च) विक्रय के लिये किसी शराब की बोतल में बन्द करता है, या

(छ) धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, या

(ज) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है, या निकालता है, तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड (झ) के अधीन अपराध की स्थिति में

Scanned with CamScanner

ऐसी उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाईसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद–शुल्क की राशि के दस गुने या पाँच हजार रूपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा।"

धारा 61 का संशोधन

8. धारा 61 के खण्ड (क) तथा (ख) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(क) धारा 22 का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भेषज किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है या जो स्पष्टतः 21 वर्ष से कम आयु का हो, या

"(ख) धारा 23 का उल्लंघन करके अपने लाईसेंस प्राप्त भू–गृहादि के किसी भाग में जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति, को या किसी महिला की सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजन करने की अनुज्ञा देता है, तो उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।"

धारा 62 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 62 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"विकृत स्प्रिट की मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिए शास्तिः

जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नही, जो विकृत हो गयी हो, मानव उपयोग के योग्य बनाता है बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनायी गयी हो या जिसके सम्बन्ध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो उसे ऐसी अवधि के लिए जो छः मास से कम नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दण्ड दिया जायगा और वह अर्थदण्ड जो पांच हजार से कम न हो और जिसे पचास हजार रूपये तक बढाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायगी कि कोई स्प्रिट जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि जिसमें किसी मात्रा में विचारक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट से व्युत्पन्न है।"

धारा 63 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 63 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"अवैध रूप से आयात की गई मादक वस्तु, आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्तिः

जो कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के कोई (मादक वस्तु) किसी परिमाण में अपने कब्जे में यह जानते हुए अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया है या यह जानते हुए कि उस पर विहित उत्पाद–शुल्क का भुगतान नही किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो (एक वर्ष) तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जाएगा जो मादक वस्तु से प्राप्त होने वाले उत्पाद–शुल्क के दस गुना या पांच हजार रूपये से, जो भी अधिक हो से कम न होगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।"

धारा 64 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 64 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"लाईसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यो के लिए शास्ति– जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाईसेन्स, परमिट या पास का धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए और उसकी ओर से कार्य करते हुए–

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा माँगे जाने पर, जो इस प्रकार माँगने के लिए सम्यक् रूप से अधिकृत हो, ऐसा लाईसेन्स, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है या

Scanned with CamScanner

(ख) लाईसेन्स, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझकर कोई ऐसा कार्य या कार्य-लोप करता है, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

(ग) ऐसे मामले जिसके लिए धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसे प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए अधिकतम रू0 20,000/— अर्थदण्ड विहित जायेगा।"

धारा 64क का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 64क को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"लाईसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिए शास्ति—

(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाईसेंस धारक होते हुए, या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए अपने द्वारा विक्रीत या निर्मित मादक वस्तु में कोई हानि-कारक भेषज या कोई अनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविक या आभाषित मादकता या सान्द्रता बढने की सम्भावना हो, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किसी नियम द्वारा निषिद्ध कोई पदार्थ मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता है तो जब ऐसा मिश्रण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अधीन अपमिश्रण के अपराध की कोटि में न आता हो, उसे कारावास का दण्ड जो छः मास से कम न होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थदण्ड भी, जो दस हजार रूपये से कम नही होगा और जो बीस हजार तक हो सकता है, दिया जायगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाईसेंस धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए किसी ऐसी शराब जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है, विदेशी शराब के रूप में विक्रय करता है या विक्रयार्थ रखता या प्रदर्शित करता है, उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थ-दण्ड जो बीस हजार रूपये तक हो सकता है, दिया जायगा;

प्रतियन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा—

(एक) प्रथम अपराध के लिए तीन मास का कारावास और दो हजार रूपयों का अर्थ-दण्ड, और

(दो) प्रत्येक द्वितीय अनुवर्ती अपराधों के लिए छः मास का कारावास और पांच हजार रूपये का अर्थ-दण्ड।"

धारा 65 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 65 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"केमिस्ट की दुकान, आदि में उपभोग के लिए शास्ति—

(1) यदि कोई केमिस्ट, औषधि विक्रेता, औषधि वैद्य या कोई औषधालय का रक्षक किसी ऐसी मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप में औषधीय प्रयोजन के लिए औषधियुक्त न किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवायोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू-गृहादि में उपभोग किये जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जाएगा जो बीस हजार तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू-गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है।"

धारा 74 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 74 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"अपराधों का शमन:

(1) कोई अधिकारी अधिकारी जो उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से

Scanned with CamScanner

सशक्त किया गया हो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाईसेन्स, परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य हो या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में अधिकतम रू0 1,00,000/– (एक लाख मात्र) और ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो, उस सम्पत्ति के (ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित) मूल्य का भुगतान किये जाने पर उसे छोड़ सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् जहाँ अन्तर्ग्रस्त मादक वस्तु का परिमाण राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहाँ धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा–63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध को, प्रशमन शुल्क के रूप में ऐसी धनराशि जो पाँच हजार रूपये से कम नहीं होगी, भुगतान करने पर, प्रशमन कर सकता है ; परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यूनतम प्रशमन की धनराशि धारा 60(1), 60(3) एवं धारा 63 में उल्लेखित अर्थ–दण्ड से कम न होगी।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायेगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति सिवाय मादक वस्तु के छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी न जारी रखी जायेगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने पर उसे दोषमुक्त समझा जायेगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

धारा 74क का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 74क को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"शास्ति आरोपणः

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाईसेंस, परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाईसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी अधिकतम रू0 1,00,000/– (एक लाख मात्र) की शास्ति आरोपित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि इस लाईसेंस, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को–

(क) उन अपराधों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुए लिखित नोटिस न दे दी गयी हो,

(ख) ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरूद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।"

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

No. 211/XXXVI(3)/2018/28(1)/2018
Dated Dehradun , April 25, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (The United Provices Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Amendment) Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: **23 of 2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 April, 2018.

The Uttarakhand (The United Provinces Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Amendment) Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 23 of 2018)

An

Act

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no 4 of 1910) (as applicable to the State of Uttrakhand) to the context of the State of Uttarakhand,

Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-ninth Year of the Republic of India-

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (the U.P. Excise Act,1910)(Adaptation and Modification Order, 2002) (Amendment) Act, 2018.
   (2) It extends to the whole of Uttarakhand.
   (3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 3

2. In the United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no 4 of 1910) (as applicable to the State of Uttarakhand), hereinafter is referred to as the Principal Act, in Section 3-

(i) Clause (12) shall be substituted as follows, namely-

"(12) "intoxicating drug" means following intoxicating drug, namely-

Narcotics drugs and substances, other than leaves of hemp or drink prepared by it or any other intoxicating substances declared under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, Act, 1985 which is notified by the State Government."

Scanned with CamScanner

(ii) Clause (16) shall be substituted as follows, namely-

(16) "sale" with its grammatical variations includes any transfer other than by way of service of liquor and its service and by gift in the hotel, restaurant, club and notified places under the licence in sale;

(iii) New clauses (23),(24),(25),(26),(27) and (28) shall be inserted after Clause (22) as follows, namely -

(23) **"Hotel"** : means a commercial establishment or a part of a building where residential accommodation is, by way of business, provided for a monetary consideration;

(24) **"Club" :** means any person or body of persons, registered under the Company Act, 2013 or the Uttarakhand Co-operative Society Act,2003 or Society Registration Act,1860 providing services, facilities or advantages, primary to its members, for a subscription or any other amount;

(25) **"Restaurant"**: means a commercial establishment where meals are prepared and served to customers for a monetary consideration.

Explanation: Definition of restaurant given in UP Restaurant Consumption of Liquor Rules, 1952(as adopted and modified in the Uttrakhand), shall be applicable for relevant purposes inspite of the said definition.

(26) **"Notified place"**: means any building or part of a building and the premises appurtenant thereto and any specifically demarcated land wherein the supply of liquor in terms of a licence is permitted for consumption within such notified place;

(27) **"Service and supply of liquor"**: means providing of liquor for consideration at clubs, restaurants, hotels and any other notified place on the basis of licence issued on the condition that such liquor shall be consumed within the premises of such hotel, club, restaurant or other notified place;

(28) **"Shop of liquor"**: means such retail shop who have licence of sale liquor in the sealed bottle etc. in retail."

Amendment of section 17

3. Sub section (1) of section 17 of the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"(1) (a) No intoxicant shall be manufactured ;

(b) no portion of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured shall be collected;

(c) no liquor shall be bottled for sale ; and

(d) no person shall use, keep or have in his possession any substantial, still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than *tari*.

Scanned with CamScanner

Except under the authority and subject to the terms and conditions of a licence granted in that behalf by the Collector."

Amendment of section 24.A

4. In Section 24.A of the Principle Act,-

(i) Sub-section (1) and (2) shall be substituted as follows, namely-

"(1) Subject to the provisions of section 31, the Excise Commissioner may grant to any person a licence or licences for the exclusive or other privilege –

(a) of manufacturing or of supply by wholesale, or of both; or

(b) selling by retail; or

(c) of selling by wholesale

(d) of selling by retail at shops

any foreign liquor in any locality.

(2) The grant of licence or licences under clause (d) of sub-section (1) in relation to any locality shall be without prejudice to the grant of licences for the retail sale of foreign liquor in the same locality in hotels, restaurants, clubs and notified places for consumption on their premises

(ii) New sub-section (5) and (6) shall be inserted after sub-section (4) as follows, namely-

"(5) **Exclusive privilege for service and supply of Liquor** : Licence may be granted for service and supply for consumption of liquor within the premises of hotel, restaurent, club and notified places. Every hotel, club, restaurant or any notified place having a licence shall be entitled to engage in the service and supply of liquor to members, guests or other persons for consumption of such liquor within the premises of such club, hotel, restaurant or notified place, irrespective of whether such club, hotel, restaurant or notified place, is located on or near any State or National Highway:

Provided that if any persons obtains permit for serving of liquor at a private place, then such place shall be considered as notified place for the purpose of this section.

(6) Any licence issued to any hotel, club, restaurant or other notified place for the sale of liquor shall be deemed to have been and always be deemed to have been issued for the service and supply of liquor and all relevant provisions of this Act and the rules made there under shall continue to apply as they did for sale of liquor.

Explanation- For the removal of doubt, it is hereby clarified that all taxes, duties, cess or other levies as applicable to sale of liquor shall apply to service and supply of liquor unless otherwise specified in this or any other Act, rule or notification made thereunder."

Scanned with CamScanner

Amendment of section 36

5. Section 36 with title of Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Surrender of licence regarding retail sale or service and supply of liquor :

Any holder of a licence regarding retail sale or service and supply of liquor under this Act may surrender his licence on the expiration of one month's notice in writing given by him to the Collector of his intention to surrender the same and on payment of the fee payable for the licence for the whole period for which it would had been continued if such surrender not done ;

Provided that, if the Excise Commissioner is satisfied that there is sufficient reason for surrender such a licence, he may remit to the holder thereof the sum so payable on surrender, or any portion thereof.

Explanation- The words "holder of a licence" as used in this section, also include a person whose tender or bid for a licence has been accepted, although he may not actually have received the licence."

Amendment of section 41

6. Clauses (a),(b),(c) of section 41 in Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"(a) regulating the manufacture, supply, storage or sale of any intoxicant including-

(i) the erection, alteration, repair, inspection, supervision, management and control of any place for the manufacture, supply, storage or sale of such article and the fittings implements and apparatus to be maintained therein ;

(ii) the collection of portions of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured and the manufacture of any intoxicating drug therefrom;

(b) regulating the deposit of any intoxicant in a warehouse and the removal of any intoxicant from any such warehouse or from any distillery or brewery ;

(c) prescribing the scale of fees or manner of fixing, the fees payable for any licence, permit or pass including any consideration for the grant of any exclusive or other privilege granted under section 24 or section 24-A or for storing of any intoxicant :

Provided that nothing contained in this clause shall be construed to prevent the State Government from levying any fee, including vend fee, as part of consideration for the granting of any such privilege by notification made from time to time.

Explanation—

(1) Fees may be prescribed under this sub-clause at different rates for different class of licences, permits, passes or storage and for different areas.

Scanned with CamScanner

(2) The manner of fixing such fee or consideration includes any one or more of the following manners; namely-

(i) auction,

(ii) invitation of tenders,

(iii) assessment on the basis of sales made or quota lifted under the licence, permit or pass;

(iv) any other provision in addition to aforesaid.

Amendment of section 60

7. Sub-section (1) of section 60 in Principle Act shall be substituted as follows, namely -

"(1) Whoever, in contravention of this Act or of any rule or order made thereunder, or of any licence, permit or pass obtained thereunder -

(a) imports, exports, transport or possesses any intoxicant; or

(b) collects or sells any portion of the hemp plant (*cannabi sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured; or

(c) constructs or runs any distillery, brewery or vintnery; or

(d) uses, keeps or has in his possession any material, stills, utensil, implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other that *tari* ; or

(e) removes any intoxicant from any distillery, brewery, vintnery or warehouse licensed, established or continued under this Act; or

(f) bottles any liquor for purposes of sale ; or

(g) sells any intoxicant, save in the case provided in section 61; or

(h) taps or draws *tari*, from any producing tree in the areas notified under section 42;

shall be punished with imprisonment which may extend to two years and with fine which shall, in the case of an offence under clause (i) not be less than ten times the amount of duty which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act, and the rules and orders made thereunder or in accordance with any licence, permit or pass obtained thereunder, and in any other case, not be less than ten times the amount of such duty, or five thousand rupees, whichever is greater.

Amendment of section 61

8. Clauses (a) and (b) of section 61 in Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"(a) in contravention of section 22 sells or delivers any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of twenty one years; or

Scanned with CamScanner

(b) in contravention of section 23 employs or permits to be employed on any part of his licensed premises referred to in that section, any person under the age of twenty one years or any woman;

he shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees."

Amendment of section 62

9. Section 62 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption:

Whoever renders attempts to render fit for human consumption any spirit whether manufactured in India or not which has been denatured, or has in his possession any denatured spirit which has been rendered fit for human consumption or in respect of which any attempt has been made to render it so fit shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months, and which any extend to three years, and shall also be liable to fine of five thousand rupees which may extend to fifty thousand rupees.

Explanation— For the purpose of this section, it shall be presumed that any spirit which is proved to contain any quantity of any denaturant, is or contains or has been derived from denature spirit."

Amendment of section 63

10. Section 63 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for possession of intoxicant un-lawfully imported, etc.

Whoever, without lawful authority, has in his possession any quantity of any intoxicant knowing them same to have been unlawfully imported, transported or manufactured or knowing the prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten times or with both."

Amendment of section 64

11. In section 64 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty of certain acts by licensee or his servant:

Whoever, being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act or being in the employment of such holder and acting on his behalf-

(a) fails to produce such licence, permit or pass on the demand of any Excise Officer or of any other officer duly empowered to make such demand; or

(b) willfully does or omits to do anything in breach of any of the conditions of the licence, permit or pass, not otherwise provided in this Act;

(c) save in a case provided for by section 60, willfully contravenes any rule made under section 40;

Scanned with CamScanner

shall for each such contrayene be punished with fine which may extend to twenty thousand rupees."

Amendment of section 64A

12. Section 64 A with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for acculturation by licence vendor or manufacturer:

(1) Whoever, being the holder of a licence for the sale or manufactur of any intoxicant under this Act or a person in the employment o such holder, mixes or permits to be mixed with the intoxicant sol or manufactured by him any noxious drug or any impropc ingredient likely to add to its actual or apparent intoxicating qualit or strength or any Article prohibited by any rule made under th Act, when such mixture does not amount to an offence c adulteration under section 272 of the Indian Penal Code, shall b punished with imprisonment for a term which shall not be less tha six month and which may extend to three years and also with fi which shall not be less than ten thousand rupees and which ma extend to twenty thousand rupees.

(2) Whoever being the holder of a licnece for the sale or manufactu of any intoxicant under this Act, or a person in the employment such holder sells or keeps or exposes for sale as foreign liqu liquor which he knows or has reason to believe to be country liqu shall be punished imprisonment for a term which may extend to

three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees :

Provided that the punishment shall not be less than –

(i) imprisonment for three months and fine of two hundred rupees for the first offence; and

imprisonment for six months and fine of five hundred rupees for each of the second of subsequent offences."

Amendment of section 65

13. Section 65 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for consumption in chemists shop, etc.

(1) If any chemist, druggist, apothecary or keeper of dispensary allows any intoxicant which has not been *bona fide* medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person not employed in his business, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

(2) If any person not employed as aforesaid consumes any such intoxicant on such premises, he shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees."

Scanned with CamScanner

Amendment of section 74

14. Section 74 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"**Compounding of offences:**

(1) Any Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf may accept from any person whose licence, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under section 34, or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 64 or section 68, a sum of money not exceeding One Lakh rupees in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for the offence, which may have been committed, as the case may be, and in all cases in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act, may release the same on payment of the value thereof (as estimated by such officer).

(2) Any officers specially empowered by the State Government in that behalf may subject to any general or special order of the State Government compound, whether before or after the institution of the prosecution, any offence punishable under clause (a) of sub-section (1) of section 60 or section 63, where the quantity of the intoxicant involved does not exceed the quantity notified by the State Government in that behalf, or any offence punishable under sub-section (3) of section 60, on payment of such sum of money as composition fee as he think fit, which shall not be less than five thousand rupees ;

Provided that minimum amount of compound shall not be less than the fine mentioned in section 60(1),60(3) and 63.

(3) On the payment by such person of sum of such money or such value or both, as the case may be, such person, if in custody, shall be set at liberty and all the property seized may be released and no proceeding shall be instituted or continued against such person in any criminal court. The acceptance of such sum of money by way of composition shall be deemed to amount of an acquittal and in no case shall any further proceeding be taken against such person or property with reference to the same act."

Amendment of section 74A

15. Section 74A with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"**Imposition of penalty:**

(1) If a holder of a licence, permit or pass granted under this Act or an employee of such holder contravenes any of the conditions of the licence, permit or pass or any rule made under this Act, any Excise Officer authorized by the State Government in this behalf may impose a penalty not exceeding (1,00,000/-)One Lakh rupees.

Scanned with CamScanner

(2) No order imposing a penalty shall be made under sub-section (1) unless the holder of the licence, permit or pass or the employee concerned is given --

(a) a notice in writing informing him of the ground of which it is proposed to proceed under this section;

(b) a reasonable opportunity of making a representation in writing, within such time as may be specified in the notice, against such grounds; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) No person on whom a penalty is imposed under sub-section (1) shall be liable to prosecution in respect of any offence under this Act on the same fact."

By Order,

Meena Tiwari,
Principal Secretary.

Scanned with CamScanner

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 09 अप्रैल, 2019 ई0
चैत्र 19, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 118/XXXVI(3)/2019/17(1)/2019
देहरादून, 09 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019' पर दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 09, वर्ष– 2019 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष, 2019)

उत्तराखण्ड(संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002), उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए.

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम,1910) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम,1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के खण्ड (12) में –

(क) उपखण्ड (1) में, शब्द "सिद्धि या गांजा" के स्थान पर शब्द "या सिद्धि" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपखण्ड (2) निकाल दिया जायेगा,

(ग) खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(4) कोई अन्य मादक पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे।"

धारा 50 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 50 में,–

(क) शब्द "अपराध करता हुआ" के स्थान पर शब्द "अपराध करता हुआ या उसके लिये दुष्प्रेरित करता हुआ" रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द तथा अंक "धारा 60," के पश्चात "धारा 60क एवं धारा 69," शब्द तथा अंक अंत:स्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 51 में शब्द "कोई दण्डनीय अपराध किया है" के स्थान पर शब्द "कोई दण्डनीय अपराध किया है अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किया है" तथा शब्द एवं अंक "धारा 60," के पश्चात "धारा 60क," शब्द एवं अंक अंत:स्थापित कर दिये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

धारा 52 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 52 में, शब्द एवं अंक "धारा 60," के पश्चात धारा 60क," शब्द एवं अंक अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 53 का संशोधन 6. मूल अधिनियम की धारा 53 में, शब्द एवं अंक "धारा 60," के पश्चात "धारा 60क," शब्द एवं अंक अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन 7. मूल अधिनियम की धारा 54 में प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60, धारा 60क, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65, धारा 68 और धारा 69 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के किया जा सकता है और यह कि धारा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलैक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारण्ट का निष्पादन, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे कलैक्टर द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाये।"

धारा 55 का संशोधन 8. मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

55. "धारा 60 की उपधारा (2), धारा 60(क), धारा 62, धारा 63 और धारा 64(क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय कोई अपराध तथा धारा 69 के अन्तर्गत वे अपराध जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये पूर्व में भी तीन बार दोषसिद्ध किया जा चुका हो, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होंगे।"

धारा 60 का संशोधन 9. मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

"60. (1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाईसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके:—

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है, अथवा

(ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वतः उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सटाइवा) के पौधे की पत्तियों और छोटे डण्ठल (जिनमें फूलों या फलों के अग्रभाग सम्मिलित नही है) का संग्रह या विकय करता है, अथवा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(घ) कोई आसवनी "यवासवनी, विनिर्माणशाला" या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

(ङ) किसी प्रकार कोई सामान, भगका, बर्तन, औजार या उपकरण ताडी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन लाईसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माशाला" या द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है, अथवा

(छ) विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है, अथवा

(ज) धारा 61 उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, अथवा

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताडी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताडी चुआता है, या निकालता है, तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो दस हजार रूपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो आबकारी राजस्व जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती के दस गुना या ऐसी धनराशि जो न्यूनतम पांच हजार रूपये परन्तु बीस हजार रूपये से अनधिक हो सकती है, जो भी अधिक हो से कम न होगी।

(2) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाईसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके, किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास जो छः मास से कम नही होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेंगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रूपये तक हो सकता है।

(3) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो पाँच हजार रूपये से कम नही होगा और दस हजार रूपये तक हो सकता है।"

Scanned with CamScanner

धारा–60(क) का अंतःस्थापन

अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु में मिश्रित करने के लिये तथा अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु की ओट में बिक्री करने के लिये शास्ति

10. मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात् निम्नलिखित धारा शीर्षक सहित अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः–

"60 क – जो कोई किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से उसे अपायकर करने हेतु मिश्रित करता है या मिश्रित करने देता है या ऐसे अपायकर मादक वस्तु या किसी अन्य अपायकर पदार्थ का किसी मादक वस्तु की ओट में उपभोग हेतु विकय करता है, उसे प्रदान करता है या विकय करवाता है या करने देता है या उपलब्ध करवाता है, जिससे मानव को विकलांगता या उपहति या घोर उपहति या मृत्यु या कोई अन्य परिणामी क्षति होना संभावित हो, को दण्डित किया जायेगाः–

(क) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप मृत्यु होती है, तो उसे कठोर कारावास जो दस वर्ष तक हो सकेगा, किन्तु सात वर्ष से कम न होगा से दण्डित किया जाएगा और जुर्माना, जो दस लाख रूपये तक हो सकता है, किन्तु जो पांच लाख रूपये से कम न होगा, से भी दण्डनीय होगा,

(ख) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप विकलांगता या घोर उपहति होती है, तो कठोर कारावास, जो आठ वर्ष तक हो सकता है किन्तु छः वर्ष से कम न होगा, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माना, जो पाँच लाख रूपये तक हो सकता है, किन्तु तीन लाख रूपये से कम न होगा, से भी दण्डनीय होगा,

(ग) यदि ऐसे कृत्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई उपहति या कोई अन्य परिणामी क्षति पहुँचती है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, किन्तु तीन वर्ष से कम न होगा से दण्डित किया जाएगा, और जुर्माना से, जो दो लाख रूपये तक हो सकता है किन्तु एक लाख रूपये से कम न होगा, से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "उपहति" या "घोर उपहति" के अर्थ वही होंगे जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की कमशः धारा 319 एवं 320 में है।"

धारा 63 का संशोधन

मादक वस्तु का अवैध आयात अथवा अवैध आयात मादक वस्तु का परिवहन या कब्जे में रखने के लिये शास्ति

11. मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

"63– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो 5 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा 30 के अधीन आबकारी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राजस्व की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाईसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या बीस हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नही होगा, दण्डित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति तत्समय राज्य में प्रभावी मदिरा/बीयॅर कब्जे में रखने की सीमा के अन्तर्गत, उस मदिरा/बीयॅर जिस पर तत्समय राज्य में लागू आबकारी राजस्व जमा नहीं किया गया है,का आयात/ परिवहन करता है, तो उसके विरूद्ध धारा 60(1)(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

धारा 64 का संशोधन 12. मूल अधिनियम की धारा 64 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग) ऐसे मामले, जिसके लिये धारा 60 में उपलब्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 एवं 41 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है, उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये जुर्माना, जो बीस हजार रूपये से कम नही होगा, से दण्डित किया जायेगा।

धारा 64क का संशोधन 13. मूल अधिनियम की धारा 64क की उपधारा (1) निकाल दी जायेगी,

धारा 68 का सशोधन 14. मूल अधिनियम की धारा 68 में शब्द "पाँच हजार रूपये" के स्थान पर "बीस हजार रूपये" तथा "दस हजार रूपये" के स्थान पर "पचास हजार रूपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 69 का सशोधन 15. मूल अधिनियम की धारा 69 में, प्रथम प्रतिबंधात्मक खण्ड को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा :–

" प्रतिबंध यह है कि–

(क) धारा 60 की उपधारा (1), धारा 63 या धारा 65 के अधीन किसी अपराध के लिये द्वितीय या तृतीय दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नही होगी किन्तु पांच वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से, जो तीस हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा;

(ख) धारा 60 की उपधारा (2) या धारा 62 के अधीन किसी अपराध के लिये द्वितीय या तृतीय दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से, जो साठ हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा;

(ग) धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये चतुर्थ या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो

Scanned with CamScanner

दस वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से जो साठ हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।"

धारा 69(क) का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 69क में शब्द और अंक "धारा 60 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के, खण्ड (ख), खण्ड (घ), खण्ड (ड) या खण्ड (छ) या धारा 62 के" स्थान पर शब्द और अंक "धारा 60, धारा 60क, धारा 62, धारा 63 या धारा 65" रख दिये जायेंगे।

धारा 70 का संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 70 में–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

"(क) उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न किया जाये, धारा 60, धारा 60क, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65 या धारा 69 ख के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"(2) राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना कोई मजिस्ट्रेट, धारा 60 क की उपधारा (क) तथा (ख) एवं धारा 67 के अधीन किये गये अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किसी अपराध से भिन्न इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि अभियोजन, उस दिनांक, जिस दिनांक को अपराध किया जाना अभिकथित हो, के पश्चात् एक वर्ष के भीतर न संस्थित किया जाये"।

धारा 71 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 71 में,–

(क) शब्द और अंक "धारा 60," के पश्चात धारा 60क," शब्द और अंक अंत:स्थापित कर दिये जायेंगे;

(ख) प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60क तथा धारा 69ख में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी वास्तविक अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति को जुर्माना देने में व्यतिकम के सिवाय कारावास का दण्ड नहीं दिया जायेगा।"

धारा 72 का संशोधन

19. मूल अधिनियम की धारा 72 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"(2) जहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में अधीन किसी वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाये वहाँ ऐसी सम्पत्ति को अगिग्रहीत एवं निरूद्ध करने वाला अधिकारी, ऐसे अधिग्रहण एवं निरूद्धता के दिनांक से तीन कार्यदिवस के भीतर, ऐसे अभिग्रहित सम्पत्ति, अभिग्रहण ज्ञापन और अन्य

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सुसंगत दस्तावेजों सहित अधिहरण हेतु विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर अधिग्रहण ज्ञापन और अभिग्रहीत सम्पत्ति सहित उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने पर तत्काल माल की सुरक्षित अभिरक्षा और भण्डारण हेतु आदेश देगा, जैसा कि वह उचित समझे। यदि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से कलेक्टर को यह समाधान हो जाये कि कोई अपराध किया गया है, जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा (1) के अधीन अधिहरण किये जाने का दायी हो गया है, तो वह ऐसी वस्तु या पशु का अधिहरण करने का आदेश दे सकता है चाहे ऐसे अपराध के लिये अभियोजन संस्थित किया गया हो या न किया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु की स्थिति में उसके स्वामी को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह उसके अधिहरण के बदले में उसका अभिग्रहण किये जाने के दिनांक को उसके बाज़ार मूल्य से अनधिक जुर्माना का भुगतान करे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे।"

धारा 73 क का संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा 73 क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"73क— जहाँ धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु का अधिहरण किया जाये, वहाँ किसी न्यायालय द्वारा उस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अध्यधीन, यदि कलेक्टर की राय में अधिहरण की गयी मादक वस्तु मानव उपभोग योग्य नहीं है अथवा यदि अधिहरण की गयी मादक वस्तु को भण्डारित अथवा परिरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उक्त मादक वस्तु को नष्ट किये जाने का आदेश दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त मादक वस्तु को अधिहरण किये जाने के दिनांक से दो मास की समाप्ति के पश्चात् के सिवाय या जहाँ अधिहरण के आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन या किसी अपील हेतु आवेदन-पत्र, इस सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील में पारित आदेश के अनुसार के सिवाय लम्बित हो, नष्ट नहीं किया जायेगा;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन मादक वस्तु नष्ट किये जाने हेतु कोई आदेश, उस व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से मादक वस्तु बरामद किया गया हो, को 7 दिन की नोटिस के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्ष्यिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये परिरक्षित किया जायेगा।"

आज्ञा से,

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

कारण और उद्देश्य

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री परिवहन आदि के लिये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दण्ड का प्राविधान किया जाना आवश्यंक है, जिस हेतु धारा 60 के पश्चात् नई धारा–60(क) को जोड़ा जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य परिणामिक संशोधन करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 03, धारा 50, धारा 51, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 64, 64(क), 68, 69, 69(क),70, 71, 72 व 73(क) को संशोधित/प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ये संशोधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक और अपरिहार्य हैं।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रकाश पंत
मंत्री।

Scanned with CamScanner

No. 118/XXXVI(3)/2019/17(1)/2019
Dated Dehradun, April 09, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (the United Provinces Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2019' (Act No. 09 of 2019).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 April, 2019.

The Uttarakhand (The United Provinces Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2019

(Uttarakhand Act No. 09 of 2019)

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand (United Provinces Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002) to the context of the State of Uttarakhand,

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventieth Year of the Republic of India-

Short Title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (the U.P. Excise Act,1910) (Amendment) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of section 3 2. In section 3 of the Uttarakhand (United Provinces Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002) here in after referred to as the principal Act, in clause (12),-

(a) In sub-clause (i) for the words "Sidhi or Ganja" the words "or Sidhi" shall be substituted;

(b) Sub-clause (ii) shall be omitted;

(c) For-clause (iv)the following clause shall be substituted namely:-

"(iv) any other intoxicating substance which the State Government may by notification declare to be an intoxicating drug;".

Scanned with CamScanner

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principal Act,-

(a) for the words "committing an offence" the words "committing or abetting an offence" shall be substituted .

(b) After the word and figures "section 60," the words and figures "section 60A," shall be inserted.

Amendment of section 51

4. In section 51 of the principal Act for the words "committed any offence Punishable" the words "committed or abetted any offence Punishable" and after the word and figures "section 60," the words and figures " section 60A," shall be inserted.

Amendment of section 52

5. In section 52 of the principal Act, after the words and figures "section 60," the words and figures "section 60A and section 69," shall be inserted.

Amendment of section 53

6. In section 53 of the principal Act, after the words and figures "section 60," the words and figures " section 60A," shall be inserted.

Amendment of section 54

7. In section 54 of the principal Act for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that an offence punishable under section 60, section 60A, section 61, section 62, section 63, section 64-A, section 65, section 68 and section 69 or an offence punishable for abetment of any offence under the said sections may be investigated into without the order of a Magistrate, and that any warrant issued by the Collector under section 51 or section 52 may be executed by any officer authorised by the collector for the said purpose."

Amendment of section 55

8. For section 55 of the principal Act the following section shall be substituted, namely:-

"55. An offences punishable under sub-section (2) of section 60, section 60A, section 62, section 63 and section 64A, abetment of any offence punishable under the said sections and the offences under section 69 wherein any person has been previously convicted thrice for the same offence, shall be non- bailable within the meaning of the Code Of Criminal Procedure, 1973."

Amendment of section 60

9. For section 60 of the principal Act the following section shall be substituted, namely:-

"60. (1) Whoever, in Contravention of this Act or of any rule or order made there under, or of any licence, permit or pass obtained there under:-

(a) Exports any intoxicant; or

(b) Transports or possesses any intoxicant which is not covered under section 63 of this Act; or

(c) Collects or sells the leaves and small stalks (not accompanied by flowering or fruiting tops) of natural and spontaneous growth of wild Indian Hemp plant (Cannabis Sativa) other than charas, ganja or any other intoxicating drug covered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985; or

Scanned with CamScanner

(d) Constructs or operate any distillery, brewery, manufactory or vintnery; or

(e) Uses, keeps or has in his possession any material , still, utensil, tools or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other than tari; or

(f) Removes nay intoxicant from any distillery, brewery, manufactory, vintner or warehouse licence, established or continued under this Act; or

(g) Bottles any liquor for the purposes of sale; or

(h) Sells any intoxicant, save in the case provided for by section 61; or

(i) Taps, or draws tari from any tari-producing tree in the areas

Amendment of section 54

7. In section 54 of the principal Act for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that an offence punishable under section 60, section 60A, section 61, section 62, section 63, section 64-A, section 65, section 68 and section 69 or an offence punishable for abetment of any offence under the said sections may be investigated into without the order of a Magistrate, and that any warrant issued by the Collector under section 51 or section 52 may be executed by any officer authorised by the collector for the said purpose."

Amendment of section 55

8. For section 55 of the principal Act the following section shall be substituted, namely:-

"55. An offences punishable under sub-section (2) of section 60, section 60A, section 62, section 63 and section 64A, abetment of any offence punishable under the said sections and the offences under section 69 wherein any person has been previously convicted thrice for the same offence, shall be non- bailable within the meaning of the Code Of Criminal Procedure, 1973."

Amendment of section 60

9. For section 60 of the principal Act the following section shall be substituted, namely:-

"60. (1) Whoever, in Contravention of this Act or of any rule or order made there under, or of any licence, permit or pass obtained there under:-

(a) Exports any intoxicant; or

(b) Transports or possesses any intoxicant which is not covered under section 63 of this Act; or

(c) Collects or sells the leaves and small stalks (not accompanied by flowering or fruiting tops) of natural and spontaneous growth of wild Indian Hemp plant (Cannabis Sativa) other than charas, ganja or any other intoxicating drug covered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985; or

Scanned with CamScanner

(d) Constructs or operate any distillery, brewery, manufactory or vintnery; or

(e) Uses, keeps or has in his possession any material , still, utensil, tools or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other than tari; or

(f) Removes nay intoxicant from any distillery, brewery, manufactory, vintner or warehouse licence, established or continued under this Act; or

(g) Bottles any liquor for the purposes of sale; or

(h) Sells any intoxicant, save in the case provided for by section 61; or

(i) Taps, or draws tari from any tari-producing tree in the areas notified under section 42; Shall be punished with imprisonment which may extend to two years and with fine which may extent to ten thousand rupees in the case of an offence under sub clause (i) and in any other case , with imprisonment which may extend to three years and with fine which shall, not be less than ten times of the amount of excise revenue which would have been leviabled if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any licence, permit or pass obtained there under or minimum five thousand but not exceeding minimum five thousand till twenty thousand rupees whichever is greater.

(2) Whoever in contravention of this Act or any rule or order made thereunder or of any licence, permit or pass, obtained under this Act, manufactures any intoxicant shall be punished with the imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to twenty thousand rupees.

(3) whoever, is contravention of this act or any rule or order made there under, consumes any intoxicant, shall be punished with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees."

Insertion of section 60A

10. After section 60 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :-

Penalty for mixing noxious substance with intoxicant and selling of noxious substance under the garb of intoxicant

"60A- Whoever, adulterates or causes to be adulterated any intoxicant by mixing any other substance or foreign ingredient to make such intoxicant noxious or sells, offers or makes or causes to be sold or offered or made available such noxious intoxicant or any other noxious substance for consumption in the grab of an intoxicant, likely to cause disability or hurt or grievous hurt or death or any other consequential injury to human beings, shall be punished

(a) If as a result of such an act death is caused, then he shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to ten

Scanned with CamScanner

years but shall not be less than seven years and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees but shall not be less than five lakh rupees;

(b) If as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused, shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to eight years but shall not be less than six years and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees but shall not be less than three lakh rupees;

(c) If as a result of such an act, any hurt or any other consequential injuries caused to any person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years but shall not be less than three years and shall be liable to fine which may extend to two lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees;

Explanation:- For the purpose of this section the expression "hurt and grievous hurt" shall have the same meaning as in section 319 and section 320 respectively of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. XLV of 1860)."

Amendment of section 63

11. For Section 63 of the principal Act, the following section shall be substituted namely:-

Penalty for unlawful import of intoxicant and transport or possession of unlawfully imported intoxicant etc

"63. Whoever, is contravention of this Act, or of any rule or order made there under, imports any intoxicant or transports or has in his possession any quantity of any intoxicant unlawfully imported, shall be punished with the imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to five years and also with fine which shall not be less than ten times the amount of excise duty or excise revenue under Section 30 which would have been leviabled if such intoxicant had been dealt with in accordance with this act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any license, permit or pass obtained thereunder or twenty thousand rupees whichever is greater;

Provided that if any person import /transport such quantity of liquor which is under possession limit but the excise revenue in that liquor is not paid in Uttarakhand than he will punish under section 60 (1) (B)."

Amendment of section 64

12. In section 64 of the principal Act for clause (C) the following clause shall be substituted namely:-

"(c) save in a case provided for by section 60, wilfully contravenes any rule "made under section 40 and 41 shall, for each such offence, be punished with fine which shall not be less twenty thousand rupees."

Amendment of section 64A

13. In section 64A of the principal Act, sub-section (1) shall be omitted.

Scanned with CamScanner

Amendment of section 68

14. In section 68 of the principal Act for the words "five thousand rupees "the word "twenty thousand rupees" and "ten thousand rupees "the word "fifty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 69

15. The first proviso clause in Section 69 of the Principal Act shall be substituted, namely:-

" Provided that-

(a) in the case of second or third conviction for any offence under sub-section (1) of Section 60, Section 63 or Section 65, a sentence of imprisonment for a term not less than one year but which may extend to five years, and with fine which may extend to thirty thousand rupees, shall be passed;

(b) in the case of second or third conviction for any offence under sub-section (2) of Section 60 or Section 62, a sentence of imprisonment for a term not less than two years but which may extend to five years, and with fine which may extend to sixty thousand rupees, shall be passed;

(c) in the case of fourth or subsequent conviction for an offence punishable under any of Section 60, Section 62, Section 63 or Section 65, a sentence of imprisonment for a term not less than seven years but which may extend to ten years and with fine which may extend to sixty thousand rupees, shall be passed. "

Amendment of section 69 A

16. In section 69-A of the principal Act for the words letters and figures "clause (b), clause (d), clause (e) or clause (g) of sub-section (1) or of sub-section (2) of section 60 or of section 62 the words and figures "section 60, section 60A, section 62, section 63 or section 65"shall be substituted.

Amendment of section 70

17. In section 70 of the principal Act, (a) in sub section (1) for clause (a) following clause shall be substituted, namely:-

(a) of an offence punishable under section 60, section 60A, section 62, section 63, section 64A section 65 or section 69 B, except on his own knowledge or suspicion or on the complaint or report of an excise officer; or "

(b) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted namely:-

"(2) Except with the special sanction of the state Government no magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this Act other than an offence committed or abetted under sub section (a) and (b) of section 60A and section 67, unless the prosecution is instituted within a year after the date on which the offence is alleged to have been committed."

Amendment of section 71

18. In section 71 of the principal Act:-

(a) After the word and figures "section 60," the words and figures "section 60A,"shall be inserted.

(b) for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:-

Scanned with CamScanner

"Provided that, notwithstanding anything to the contrary in section 60A and 60B, no person other than the actual offender shall be punished with imprisonment except in default of payments of fine."

Amendment of section 72

19. In section 72 of the principal Act for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Where anything or animal is seized under any provision of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, within three working days from the date of such seizure and detention; produce a detailed report for confiscation along with such seized property, seizure memo and other reliant documents before the Collector. The Collector shall upon receiving the said report along with seizure memo and seized property, immediately order for safe custody and storage of goods as he may deem fit. The Collector, if satisfied for reasons to be recorded that an offence has been committed due to which such thing or animal has become liable to confiscation under sub-section (1), he may order confiscation of such thing or animal whether or not a prosecution for such offence has been instituted:

Provided that in the case of anything (except an intoxicant) or animal "referred to in sub-section (1), the owner thereof shall be given an option to pay in lieu of its confiscation such fine as the Collector thinks adequate not exceeding its market value on the date of its seizure."

Amendment of section 73 A

20. For section 73A of the principal Act the following section shall be substituted, namely"

"73-A. Where any intoxicant is confiscated under section 72 or section 73, the Collector, may, subject to any order passed in that behalf by any court if in his opinion the confiscated intoxicant is not fit for human consumption or if the confiscated intoxicant cannot be stored or preserve, order the intoxicant to be destroyed not withstanding anything to the contrary contained in this Act:

Provided that the intoxicant shall not be destroyed except after expiration of two months from the date of confiscation or where an application for review or an appeal against the order of confiscation is pending except in accordance with the order passed in such, review or appeal in this regard:

Provided further that any order for destruction of the intoxicant under this section shall not be passed without providing opportunity of hearing after notice of seven days to the person from whose custody the intoxicant is recovered:

Provided also that adequate sample of the intoxicant shall be preserved to meet the evidentiary requirement."

By Order,

D.P. GAIROLA,
Principal Secretary.

Scanned with CamScanner

STATEMENT OF OBJECTIVES & REASONS

In the Uttarakhand (United Provinces Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002), for the construction of illegal liquor, for sale transport etc, it is necessary to make the provision of penalties in the present context, for which the new Section 60 (a) has to be Inserted after Section 60. Apart from this, the other amendment is being amended / rectifying Section 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 64, 64(a), 68, 69(a), 70, 71,72 and 73(a) of the Uttarakhand (United Provinces Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002). These amendments are necessary and unavoidable in the present context.

2. The Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Prakash Pant
Minister

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 22 / XXIII-1 / 2022-04(01) / 2021
देहरादूनः दिनॉकः 07 जनवरी, 2022

अपर आबकारी आयुक्त (प्र0)
देहरादून (उत्तराखण्ड)

अधिसूचना

(संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) की धारा–40 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से गठित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2021–22 एवं 2022–23 के नियम–12.5 एवं 22.3(b) मे सशोंधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक (संशोधन) नियमावली, 2021–22 एवं 2022–23

क्र० सं०	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
1	नियम–12.5 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच इत्यादि निर्माता इकाईयों व जिनको आपूर्ति के विधिक अधिकार प्राप्त हो, के द्वारा यदि दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही हो, तो केवल दिल्ली राज्य में बिक्री किये जा रहे ब्राण्ड्स की ही आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में की जा सकेगी। वह इकाईयाँ जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति न कर अन्य राज्यों में आपूर्ति की जा रही है, वह अपने सम्बन्धित ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अधिकृत होंगे। आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड्स की ई०डी०पी० दिल्ली या अन्य राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड्स की ई०डी०पी० से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। यदि राज्यान्तर्गत मदिरा निर्माताओं (आसवनी/बॉटलिंग प्लान्ट) द्वारा कतिपय ब्राण्डों की बिक्री केवल उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है, तो इकाई द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई०डी०पी० उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी। प्रतिबन्ध में यह है कि राज्य में आसवनी/बॉटलिंग प्लान्ट अपने ब्राण्ड्स का निर्माण कर उसकी आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में कर सकती है, परन्तु बॉटलिंग प्लान्ट यदि किसी अन्य आसवनी की बॉटलिंग कर रही है तो वह सम्बन्धित आसवनी के ब्राण्ड्स की भराई कर निर्यात अन्य राज्यों हेतु कर सकेगे, परन्तु राज्य में बिक्री उसी ब्राण्ड की कर सकेंगे, जिसकी आपूर्ति आसवनी के मूल राज्य या दिल्ली राज्य अथवा अन्य राज्यों में हो रही हों।	12.5 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच इत्यादि निर्माता इकाईयों व जिनको आपूर्ति के विधिक अधिकार प्राप्त हो, के द्वारा यदि दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही हो, तो केवल दिल्ली राज्य में बिक्री किये जा रहे ब्राण्ड्स की ही आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में की जा सकेगी। वह इकाईयाँ जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति न कर अन्य राज्यों में आपूर्ति की जा रही है, वह अपने सम्बन्धित ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अधिकृत होंगे। आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड्स की ई०डी०पी० दिल्ली या अन्य राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड्स की ई०डी०पी० से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। यदि राज्यान्तर्गत मदिरा निर्माताओं (आसवनी/बॉटलिंग प्लान्ट) द्वारा कतिपय ब्राण्डों की बिक्री केवल उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है, तो इकाई द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई०डी०पी० उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी। प्रतिबन्ध में यह है कि राज्य में आसवनी/ बॉटलिंग प्लान्ट अपने ब्राण्ड्स का निर्माण कर उसकी आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में कर सकती है, परन्तु बॉटलिंग प्लान्ट यदि किसी अन्य आसवनी की बॉटलिंग कर रही है तो वह सम्बन्धित आसवनी के ब्राण्ड्स की भराई कर निर्यात अन्य राज्यों हेतु कर सकेगे, परन्तु राज्य में बिक्री उसी ब्राण्ड की कर सकेंगे, जिसकी आपूर्ति आसवनी के मूल राज्य या दिल्ली राज्य अथवा अन्य राज्यों में हो रही हों।

Scanned with CamScanner

ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स–कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि घोषित एक्स कस्टम दर देश में सबसे न्यूनतम हो और इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

प्रत्येक आपूर्तक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जाने हेतु प्रस्तुत ब्राण्डस की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य से अधिक नही है। यदि दिल्ली राज्य में बिक्री न की जा रही हो तो निकटवर्ती राज्यों से उत्तराखण्ड में ई0डी0पी0 अधिक न होने का उल्लेख करना होगा।

स्थानीय निर्माताओं द्वारा उपरोक्तानुसार केवल उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जा रहे ब्राण्डस हेतु उल्लेख करना होगा कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मात्र एक बार ई0डी0पी0 में परिवर्तन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत दी जायेगी।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी या किसी कस्टम बॉण्ड में सम्बन्धित ओवरसीज ब्राण्ड की एक्स कस्टम दरें कम है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।''

2 नियम–22.3 (b)

नियम 22.3 (a) के अन्तर्गत उल्लिखित अनुज्ञापनों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत यदि इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञापन की समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियम 22.3 (a) के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रतिवर्ष दो गुना हो जायेगा।

ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों यथा उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल के बराबर अथवा कम होगी, इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

प्रत्येक आपूर्तक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जाने हेतु प्रस्तुत ब्राण्डस की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य से अधिक नही है। यदि दिल्ली राज्य में बिक्री न की जा रही हो तो निकटवर्ती राज्यों से उत्तराखण्ड में ई0डी0पी0 अधिक न होने का उल्लेख करना होगा।

स्थानीय निर्माताओं द्वारा उपरोक्तानुसार केवल उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जा रहे ब्राण्डस हेतु उल्लेख करना होगा कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मात्र एक बार ई0डी0पी0 में परिवर्तन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत दी जायेगी।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी या किसी कस्टम बॉण्ड में सम्बन्धित ओवरसीज ब्राण्ड की एक्स कस्टम दरें कम है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।''

22.3 (b)

नियम 22.3 (a) के अन्तर्गत उल्लिखित अनुज्ञापनों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत यदि इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञापन की समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियम 22.3 (a) के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क ही लिया जायेगा।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

Scanned with CamScanner

संख्याः 22 (1)/ XXIII-1/2022–04(01)/2021तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल एवं कुमॉयू मण्डल, पौडी/नैनीताल।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जिला–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड देहरादून तथा 50 प्रतियां आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड कार्यालय, गांधी रोड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वैबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

Scanned with CamScanner